

नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश— 175024 के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024

भाग—एक

1. प्रारम्भिक

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255 (1) में संशोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: 1-376/81-फिन (एल0ए0) खण्ड-IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखों के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी के लेखों का अंकेक्षण कार्य किया गया।

(ख) वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न पदाधिकारी प्रधान व कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत रहे:—

(i) प्रधान

क्र०सं०	नाम	तैनाती की अवधि
1	श्री कश्मीर सिंह	01.04.2023 से 31.03.2024

(ii) कार्यकारी अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी

1	श्री राहुल जैन, भा० प्र० से० (अतिरिक्त कार्यभार)	01.04.2023 से 27.04.2023
2	सुश्री स्वाती डोगरा, हि० प्र० से० (अतिरिक्त कार्यभार)	01.05.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार

नगर परिषद् सरकाघाट के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार निम्न प्रकार से है:—

क्र.सं.	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा सं.	राशि (₹) लाखों में
1	विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की राशि का अव्ययित शेष	9.2	807.45

2	नगर परिषद् निधियों से किये गये निवेश पर पँजाब नेशनल बैंक से ब्याज की कम प्राप्ति।	10.2	1.87
3	विविध संसाधनों से आय वसूली हेतु शेष	13.1	98.56
4	तहबाजारी की राशि की कम वसूली तथा इसके लिये माँग व प्राप्ति व अन्य संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	13.7	3.31
5	घरद्वार कचरा सन्ग्रहण शुल्क की कम वसूली तथा इसके लिये माँग व प्राप्ति व अन्य संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करना	13.10	5.81
6	श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी तथा श्री पवन कुमार, सेवाकर्मी के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना।	14.1	1.58
7	सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनियमित पेंशन संशोधन का लाभ देकर अधिक भुगतान	14.3	9.76
8	नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2024 तक जारी अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	15	250.00

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

नगर परिषद् द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर अनुपालना हेतु अंकेक्षण पूर्व ही अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी से अनुरोध किया गया था। दिनांक 31.03.2023 को अवधि 04/1984 से लेकर 03/2023 तक के कुल 86 अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप-अनुच्छेदों बारे अपेक्षित अनुपालना का सत्यापन वर्तमान अंकेक्षण में करवाया जाना था। **इनमें से वर्तमान अंकेक्षण में अनुपालना के सत्यापन उपरान्त 40 अनुच्छेद निर्णीत किये गये हैं।** परन्तु अभी भी उपरोक्त अवधि के लिये 46 अनुच्छेद अनिर्णीत हैं। इनके साथ-साथ वर्तमान प्रतिवेदन में प्रारूपित अनुच्छेदों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिश्चित करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके। इस अंकेक्षण में निर्णीत किये गये गत प्रतिवेदनों के अनुच्छेदों पर की गई अनुपालना तथा शेष बचे अनिर्णीत अनुच्छेदों का संक्षिप्त विवरण **परिशिष्ट "1"** पर दिया गया है।

भाग-दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

नगर परिषद् सरकाघाट के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा अवधि 06.03.2025 से 15.03.2025 तथा 21.03.2025 से 28.03.2025 तक नगर परिषद् कार्यालय में सम्पन्न किया गया। आय व व्यय की नमूना अंकेक्षण जाँच हेतु मास चयन निम्न प्रकार से किया गया था। चयनित अभिलेख के अतिरिक्त भी समस्त वांछित अभिलेख अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया।

क्र.सं.	रोकड़ बही	आय हेतु मास चयन	व्यय हेतु मास चयन
1	मुख्य रोकड़ बही	04 / 2023	02 / 2024
2	पैन्शन व ग्रेच्युटी निधि	09 / 2023	06 / 2023

अस्वीकरण (Disclaimer): "यहाँ यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत/अधूरी सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नहीं करवाई गई के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण की जिम्मेवारी केवल चयनित माह तक ही सीमित है।"

3. अंकेक्षण शुल्क

नगर परिषद् के अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क संस्थापना व्यय के आधार पर ₹13,000/- आंका गया है। सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-79 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट से अंकेक्षण शुल्क की राशि का भुगतान निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग Shimla-171009 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से यथाशीघ्र प्रेषित करने का आग्रह किया गया था।

4. वित्तीय विवरणियाँ

नगर परिषद् अधिनियम-1994 के अन्तर्गत तथा नगर पंचायत के Accounts Manual के पैरा 27.4 के अनुसार नगर परिषद् द्वारा निम्नलिखित वित्तीय विवरणियाँ तैयार की जानी आवश्यक हैं।

अंकेक्षण हेतु निम्न वर्णित वित्तीय विवरणियाँ प्रस्तुत करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 द्वारा अनुरोध करने पर प्रत्युत्तर में प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई विवरणियों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

क्रम	वित्तीय विवरणी	प्रस्तुत की गई अथवा नहीं की गई
1	बैलेन्स शीट (Balance Sheet)	प्रस्तुत की गई
2	आय व्यय विवरणी (Income Expenditure Statement)	प्रस्तुत की गई
3	नकदी प्रवाह विवरणी (Cash Flow Statement)	प्रस्तुत नहीं की गई
4	प्राप्ति एवं भुगतान विवरणी (Receipt & Payment Accounts)	प्रस्तुत की गई
5	लेखों पर टिप्पणियाँ (Notes to Accounts)	प्रस्तुत की गई
6	वित्तीय प्रदर्शन सूचक (Financial Performance Indicator)	प्रस्तुत नहीं की गई

5. दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना:-

नगर परिषद् सरकाघाट के अवधि 04/2023 से 03/2024 के लेखा खातों के अंकेक्षण में पाया गया कि निदेशक शहरी विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश के कार्यालय पत्र संख्या: UD-H(C)-15-49/2003-III/3332-3379 दिनांक 25.03.2009, UD-H(C)-15-49/2003-III/9337-9385 दिनांक 07.09.2009 एवं UD-H(C)-15-49/2003-IV/5215-63 दिनांक 19.07.2010 द्वारा सभी नगर निगम, नगर परिषद् एवं नगर पंचायतों को लेखा खातों का अनुरक्षण दिनांक 01.04.2009 से दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) के आधार पर किये जाने सम्बन्धी जारी निर्देशों की अवहेलना करते हुये लेखा खातों का अनुरक्षण एकल लेखा पद्धति (Single Entry System) के आधार पर ही किया गया था। यह एक गम्भीर अनियमितता है। अतः निदेशक शहरी विकास विभाग के उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर लेखों का अनुरक्षण दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System) से करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6. तुलन-पत्र

नगर पंचायत के तुलन पत्र पर अंकेक्षण टिप्पणियाँ:-

निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0 के पत्र संख्या UD-H(C)-15-49/2003-III-3332-3379 Dt. 25.03.2009, समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2009 व 19.07.2010 व पन्द्रहवाँ वित्तायोग के प्रावधानों की

अनुपालना में नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण के अवलोकन हेतु प्रस्तुत वर्ष 2023-24 के लेखों के चार्टर्ड ऐकाउंटेंट (Chartered Accountant) द्वारा प्रमाणित अन्तिम लेखों (Final Accounts certified by Chartered Accountant for the year 2023-24) (परिशिष्ट "2") के अवलोकन पर पाया गया कि यह निम्न वर्णित विसंगतियों के कारण नगर परिषद् की वित्तीय स्थिति का सम्पूर्ण व वास्तविक चित्र (True and fair picture of the financial status of the MC) प्रदर्शित नहीं करते हैं।

1. तुलन पत्र के सम्पत्ति पक्ष में स्थाई सम्पत्तियाँ मात्र ₹4,66,998/- के मूल्य की दर्शाई गई हैं जबकि नगर परिषद् के पास अपना रैन बसेरा, जिसमें कार्यालय भी चलाया जा रहा है, के अतिरिक्त दुकानें, पुस्तकालय, शौचालय, पार्क आदि कई स्थाई सम्पत्तियाँ भी हैं। इसके अतिरिक्त दुकानों का बकाया किराया, सम्पत्ति कर बकाया, निर्माण निक्षेप कार्य के अग्रधन आदि लेनदारियाँ भी नगर परिषद् लेखों में विद्यमान थीं परन्तु यह सब तुलन पत्र (Balance Sheet) में दर्ज नहीं हैं।
2. इसी प्रकार देयता पक्ष में भी मात्र बैंकों में उपलब्ध निधि को दर्शाकर औपचारिकता निभाई गई है।

यह लेखा सिद्धान्तों की अवहेलना है तथा ऐसे में वर्ष 2023-24 के प्रमाणित अन्तिम लेखे नगर परिषद् सरकारघाट की सही वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं करते हैं। अतः इस सम्बन्ध में यथोचित स्पष्टीकरण सहित वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. नगर परिषद् सरकारघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के वर्ष 2023-24 के लेखों का हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा प्रमाणन

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग ऑडिट कोड, 2022 के नियम 10.1 तथा 10.5 की अनुपालना में नगर परिषद् सरकारघाट के वर्ष 2023-24 के लेखों को निम्नानुसार सशर्त प्रमाणित किया जाता है:-

Final Accounts of Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh
Certificate of the Assistant Controller (Audit),

- (i) I have audited the attached Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms, of the Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh for the year 2023-24 as per the provisions of amendment to the Section 255(1) of Himachal Pradesh Municipal Council Act 1994 on the recommendation of 11th Finance Commission and the Principal Secretary

(Finance) to the Government of Himachal Pradesh office Notification No. 1-376/81-Fin(LA) Vol.-IV dated 16-10-2008. Preparation of these accounts is the responsibility of the ULB's management. My responsibility is to express an opinion on these accounts based on my audit.

(ii) I have conducted my audit in accordance with the auditing standards and guidelines issued by the Director, Himachal Pradesh State Audit Department. These standards/guidelines require that I plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining, on the test basis, evidences supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made, as well as evaluating the overall presentation of accounts. I believe that my audit provides a reasonable basis for my opinion.

(iii) On the basis of the information and explanations that I required and have obtained, and according to the best of my information as a result of test audit of the accounts and on consideration of explanations given, I certify that,

"Except for the matters described in the basis for the qualified opinion in the appended report and subject to other observations therein, the Annual Final Accounts i.e. Balance Sheet, Income & Expenditure Account with supporting forms give a true and fair view of the state of affair of the Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh for the year 2023-24".

8. वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में परिशिष्ट "3 से 5" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति तथा बैंक समाधान विवरणियां आगामी उप अनुच्छेदों में वर्णित हैं:-

(8.1) मुख्य रोकड़ बही की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट-3)

शीर्ष	प्रारम्भिक	आय (₹)	ब्याज (₹)	कुल योग	व्यय (₹)	अन्तिम शेष
शेष (₹)				(₹)		(₹)
वित्त वर्ष 2023-24						
स्वःस्रोत	43014481	3108188	4226869	50349538	1056145	49293393
अनुदान	78529878	28400523	0	106930401	26185390	80745011
कुल	121544359	31508711	4226869	157279939	27241535	130038404

(8.2) दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद् की मुख्य रोकड़ बही अनुसार बैंक बचत खातों में उपलब्ध निधि का विवरण (परिशिष्ट-4)

1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061087214	773383	
2	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061092310	510606	
3	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061025477	14086109	
4	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061976091 (स्वच्छ भारत मिशन निधि का एकल नोडल खाता)	127731	
5	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट 50100061071777	27508980	
6	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310107754	911277	
7	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310101493	2765315	
8	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310107866	2435615	
9	हि0प्र0रा0सह0 बैंक सरकाघाट 32310102163	311328	
10	भारतीय स्टेट बैंक सरकाघाट 65111946380	13536222	
11	भारतीय स्टेट बैंक सरकाघाट 38862338312	8645	
12	कैनरा बैंक सरकाघाट 506910100094194	462654	
13	कैनरा बैंक सरकाघाट 5069101000167	5903794	
14	हिमाचल ग्रामीण बैंक सरकाघाट 82270100097658	7670177	
15	पंजाब नैशनल बैंक सरकाघाट 0867000100069300	1053572	

16	पंजाब नेशनल बैंक सरकाघाट 6017000100030729	5439581	
17	आई सी आई सी आई बैंक सरकाघाट 000045	1296169	
18	यूको बैंक शिमला 12550110043363 (प्रधानमन्त्री आवास योजना निधि का एकल नोडल खाता)	165000	
19	इन्डियन बैंक 76718 (राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन निधि का एकल नोडल खाता)	26000	
	बचत खातों के अन्तशेष का कुल योग		84992158
	परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2024 को सावधि जमा में निवेशित राशि (विवरण परिशिष्ट "5" में उपलब्ध):-		45045896
	सावधि निवेश तथा बचत खातों के शेष के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को कुल जमा राशि:-		130038054

(8.3) बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट "4")

रोकड़ बही व वित्तीय स्थिति के अनुसार दिनांक 31.03.

130038404

2024 को अन्तशेष

(-) घटाव:- रोकड़ बही के पृष्ठ 95 पर दिनांक 11.03.2024

350

को बैंक में जमा जमा टैंडर फॉर्म बिक्री के ₹64300/- के बैंक ड्राफ्टों में से ₹350/- की राशि का ड्राफ्ट 31.03.2024 तक क्लीयर नहीं हुआ था।

उपरोक्त जमा के पश्चात रोकड़ बही का संशोधित अन्तशेष

130038054

गत उप-अनुच्छेद 5.1.2 के अनुसार परिषद् के पास दिनांक 31.03.2024 को उपलब्ध कुल निधि

130038054

अन्तर

शून्य

(8.4) PFMS System के लिये खोले गये SNA Account खातों में बैंक शेष शून्य होने पर भी ₹3.19 लाख का अन्तशेष दर्शाना।

परिशिष्ट "4" पर नगर परिषद् के बैंक बचत खातों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि इसमें से निम्न तालिका में वर्णित तीन खाते PFMS System के लिये खोले गये SNA

Account हैं। इन खातों के माध्यम से मात्र PFMS System पर बुक किये गये व्यय वाउचरों का भुगतान किया जाता है न कि अन्य बैंक खातों के समान इनमें कोई राशि नगर परिषद् द्वारा जमा करवाई अथवा आहरित की जाती है। परन्तु नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा रोकड़ बही में इन खातों का दिनांक 31.03.2024 को ₹3,18,731/- का अन्तशेष दर्शाया गया था जबकि इसी दिन को बैंक पासबुक में यह अन्तशेष शून्य था। इसके बारे में अंकेक्षण को जानकारी दी गई जब भी शहरी विकास विभाग द्वारा PFMS System में इन योजनाओं की बजट राशि आबन्धित की जाती है तो उस सम्पूर्ण राशि को रोकड़ बही में आय में दर्ज करके उसमें से भुगतान करने के पश्चात शेष राशि को बैंक शेष के रूप में दर्शा दिया जाता है। यह न केवल तकनीकी रूप से गलत है परन्तु लेखांकन के प्रतिपादित सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-64 दिनांक: 21/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि. /सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस नियमितता के सन्दर्भ में उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त नियमानुसार अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाए।

क्रम	बैंक का नाम (रोकड़ बही अनुसार)	खाता संख्या	रोकड़ बही अनुसार दिनांक 31.03.2024 का शेष
1	एच0डी0एफ0सी0 बैंक सरकाघाट (स्वच्छ भारत मिशन निधि का एकल नोडल खाता)	50100061976091	127731
2	यूको बैंक शिमला (प्रधानमन्त्री आवास योजना निधि का एकल नोडल खाता)	12550110043363	165000
3	इन्डियन बैंक (राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन निधि का एकल नोडल खाता)	76718	26000
	कुल योग		318731

(8.5) चैक रजिस्टर का अनुरक्षण न करना

नगर पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया है कि चैक रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। इस पारदर्शिता के अभाव में अवधि 04/2023 से 03/2024 के बीच किये गये व्यय तथा उसके

भुगतान की जाँच में अनावश्यक बाधा उत्पन्न हुई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-65 दिनांक: 21/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस त्रुटि बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार करते हुये चैक रजिस्टर का अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाये।

(8.6) अनावश्यक रूप से 19 बैंक बचत खातों का संचालन करना

परिशिष्ट "4" में दिये विवरणानुसार नगर परिषद द्वारा दिनांक 31.03.2024 को 19 बैंक बचत खातों का संचालन किया जा रहा था। अंकेक्षणावधि में इन खातों की लेनदेन विवरणियों के अवलोकन पर पाया गया है कि लगभग 6 खातों में नाममात्र का ही लेनदेन किया गया था। यह स्पष्ट करता है कि नगर परिषद को इन खातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक रूप से इन खातों के संचालन का स्पष्टतया कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा इसके कारण रोकड़ बही अनुरक्षण तथा बैंक समाधान विवरण तैयार करने में अधिक त्रुटियों की संभावना भी बनी रहती है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-65 दिनांक: 21/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इन बचत खातों को जारी रखने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इन खातों को बन्द करके जमा पड़ी अनुपयुक्त राशि का सदुपयोग सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8.7) पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में परिशिष्ट-6 पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पेंशन एवं ग्रेच्युटी निधि की अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	अंशदान प्राप्त बैंक ब्याज सहित (₹)	कुल योग (₹)	व्यय/ भुगतान (₹)	अन्तशेष (₹)
2022-23	840042	367181	1207223	1068370	138853

(8.8) पेंशन एवं ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी (परिशिष्ट-7)

विवरण	राशि (रु)
हि0प्र0सह0 बैंक सरकाघाट बचत खाता संख्या 32310108984	138853
रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति अनुसार 31.03.2023 का अन्तशेष	138853
अन्तर	शून्य

(8.9) नगर परिषद् कर्मचारियों के सन्दर्भ में पेंशन व ग्रैच्युटी, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेंशन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-68 दिनांक: 22/03/2025 के सन्दर्भ में **परिशिष्ट-“8”** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर परिषद् कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन व ग्रैच्युटी के भाग को कार्यकारी अधिकारी के नाम से खोले गये बैंक खाते में जबकि कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेंशन निधि अभिदान (नियोक्ता अंश सहित) की कटौती सम्बन्धित कर्मचारी के व्यक्तिगत बचत बैंक खाते, जो कि कार्यकारी अधिकारी के नाम गिरवी है, में जमा करवाया जाता है। दिनांक 31.03.2023 को इन बचत खातों के कुल शेष का विवरण निम्न प्रकार से है:-

- | | |
|---|------------|
| 1 पेंशन व ग्रैच्युटी निधि का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष | ₹1,38,853 |
| 2 कर्मचारी के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष | ₹8,17,876 |
| 3 कर्मचारी के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदायी पेंशन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31.03.2024 को कुल शेष | ₹58,55,291 |

इन खातों के सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियां पाई गई हैं:-

1. हिमाचल प्रदेश नगर पालिका लेखा संहिता 1975 के अध्याय 14 में नियम 213 से 227 तक में दिए गए प्रावधानों में नगर परिषद् कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमास की जाने वाली भविष्य निधि से सम्बन्धित कटौतियों व आहरण पद्धति, लेखांकन के नियम व प्रारूप आदि प्रतिपादित किए गए हैं। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया इस सन्दर्भ में लगभग किसी भी नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है।

2. उपरोक्त नियमों में प्रावधित भविष्य निधि खातों के सन्दर्भ में प्रारूप पी. एफ. 7 – 1 से पी. एफ. 12 में बनाए जाने वाले खातों/लैज़र का नगर परिषद् द्वारा अनुरक्षण नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त अभिलेख के अभाव में की गई कटौतियों की गणना, लेखांकन, बैंक में जमा, इन खातों पर दिया गया ब्याज तथा आहरण इत्यादि की अंकेक्षण के दौरान पुष्टि व जाँच नहीं की जा सकी है।
4. इसी प्रकार अंशदायी पेंशन निधि मासिक अभिदान, जिसमें कर्मचारी तथा नगर परिषद् दोनों का अभिदान, सम्मिलित है को “पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्रधिकरण” द्वारा संचालित एन. पी. एस. खाता (NPS Account with “Pension Fund Regulatory and Development Authority) खोल कर उसमें प्रत्येक माह जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु नगर परिषद् द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम से NPS Account खुलवाये ही नहीं गये हैं और दोनों प्रकार के अभिदान की राशि उपरोक्त बचत खातों में ही जमा करवाई जा रही है। यह न केवल गम्भीर अनियमितता है परन्तु साथ ही कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पश्चात के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ है क्योंकि इस परिस्थिति में यह सुनिश्चित है कि उन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

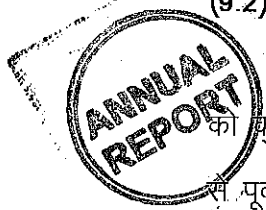
अतः अब इस अभिलेख का अनुरक्षण न किए जाने तथा कर्मचारियों के नाम से NPS Account नहीं खुलवाने के बारे में सम्पूर्ण वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुए इसे भविष्य अनुपालना सुनिश्चित करके अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

9. अनुदान

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में “परिशिष्ट-9 से 11” पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अवधि 04/2023 से 03/2024 प्राप्त तथा व्यय किये गये अनुदानों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है:-

(9.1) सामान्य रोकड़ बही में लेखांकित अनुदानों की वित्तीय स्थिति (परिशिष्ट-9)

वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक प्राप्ति (₹)	कूल योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तशेष (₹)
2023-24	78529878	28400523	106930401	26185390
				80745011



(9.2) विभिन्न परियोजनाओं की अनुदान की ₹807.45 लाख राशि का अव्ययित शेष:-

परिशिष्ट "11" पर संलग्न विस्तृत विवरण से स्पष्ट विदित होता है कि दिनांक 31.03.2024 को कुल अव्ययित ₹8,07,45,011/- की अनुदान राशि में से ₹6,68,07,485/- दिनांक 01.04.2023 से पूर्व तथा ₹1,39,37,526/- वर्ष 2023-24 में प्राप्त हुये थे। अतः इस अव्ययित अनुदान राशि का समयबद्ध तरीके से निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित किया जाए।

(9.3) दिनांक 1.4.2023 से पूर्व प्राप्त ₹668.07 लाख के अनुदानों का कई वर्ष पश्चात भी उपयोग करने में विफलता:-

दिनांक 01.04.2023 से पूर्व विभिन्न परियोजनाओं हेतु प्राप्त अनुदान राशियों में से निम्न तालिका में संकलित विवरण अनुसार ₹6,68,07,485/- की अनुदान राशियाँ ऐसी हैं जिनको एक से दस वर्ष तक का समय बीत जाने पर भी व्यय नहीं किया गया था। (परिशिष्ट "10"-कॉलम 11)

क्रम	अनुदान मद	वर्ष जिसमें अनुदान प्राप्त हुआ था	अवधि जितने समय अनुदान व्यय नहीं किया गया है	व्यय हेतु शेष अनुदान राशि (₹)
1	पन्द्रहवाँ वित्तायोग में प्राप्त अनुदान	2022-23	2 वर्ष से अधिक	14935529
2	पार्किंग तथा पार्क निर्माण हेतु प्राप्त अनुदान	2020-21	3 वर्ष से अधिक	6135741
3	"Integrated Housing and Slum Development Programme (IHSDP)" में प्राप्त अनुदान	2014-15	10 वर्ष से अधिक	26189948
4	आपदा राहत प्रबन्धन में प्राप्त अनुदान	2021-22	3 वर्ष से अधिक	250000

5	नगर पंचायत से नगर परिषद् स्तरोन्नत होने पर प्राप्त विशेष अनुदान	2021-22	3 वर्ष से अधिक	9087635
6	सीवरेज लाईन बिछाने हेतु <i>Urban Infrastructure Development Scheme for Small and Medium Towns (UIDSSMT) में प्राप्त अनुदान</i>	2013-14	11 वर्ष से अधिक	9191309
7	NULM	2022-23	2 वर्ष से अधिक	26000
8	ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्राप्त अनुदान	2021-22	1 वर्ष से अधिक	991323
	कुल योग			66807485

उपरोक्त विफलता के कारण जहां अनुदान निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है वहीं लाभार्थी नागरिकों को भी प्राप्त होने वाले विकासात्मक लाभों से वंचित होना पड़ा है जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है।

(9.4) ₹261.85 लाख के अनुदान व्यय के पश्चात भी वर्ष 2023-24 के लिये कोई उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना

नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण को परिशिष्ट "10" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2023 से 31.03.2024 तक कुल ₹2,61,85,390/- का व्यय प्राप्त अनुदानों में से दर्शाया गया था परन्तु इस अवधि में, उक्त परिशिष्ट के अन्तिम कॉलम अनुसार, किसी भी व्यय के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित वित्तपोषक संस्थाओं को प्रेषित नहीं किये गये थे। इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त लम्बित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने सुनिश्चित करने के साथ-साथ इनकी सत्यापना भी आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाएं।

इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि. /2025/-66 दिनांक: 21/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था जिसके

प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है।

10. निवेश

(10.1) नगर परिषद निधियों से किये गये निवेश का विवरण।

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में परिशिष्ट "5" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को नगर परिषद की निधियों से सावधि जमा योजना में निवेशित ₹4,50,45,896 /— की राशि का विवरण निम्न प्रकार से है:—

क्र० सं०	बैंक का नाम	सावधि जमा खाता सं०	निवेशित राशि (₹)
1	एच०डी०एफ०सी० बैंक सरकाघाट	50300286507558	267413
2	एच०डी०एफ०सी० बैंक सरकाघाट	5030035567608	355565
3	एच०डी०एफ०सी० बैंक सरकाघाट	503008201676	12820156
4	एच०डी०एफ०सी० बैंक सरकाघाट	503008458520	13135639
5	हि०प्र०रा०सह० बैंक सरकाघाट	32330303208	744111
6	हि०प्र०रा०सह० बैंक सरकाघाट	32330303340	4379315
7	हिमाचल ग्रामीण बैंक सरकाघाट	87273105581029	38954
8	कैनरा बैंक सरकाघाट	506940100030071	106553
9	पंजाब नेशनल बैंक सरकाघाट	1794302100355	13198190

कुल निवेश

45045896

इन निवेशों को परिपक्वता पर यथासमय भुनाया अथवा पुनर्निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(10.2) नगर परिषद निधियों से किये गये निवेश पर पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ₹1.87 लाख के ब्याज का कम भुगतान करना।

नगर परिषद के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत पंजाब नेशनल बैंक के सावधि जमा निवेश खाता संख्या 1794302100336 की अंकेक्षण जाँच में पाया गया

है कि बैंक द्वारा ₹1,87,026/- का कम ब्याज भुगतान किया गया था। इस अनियमितता का क्रमानुसार विवरण निम्न प्रकार से है।

- (i) नगर परिषद् द्वारा दिनांक 21.10.2023 को एक साल के लिये तिमाही आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज की 5.70% दर से ₹1,29,30,740/- की राशि निवेशित की थी।
- (ii) नगर परिषद् द्वारा इस निवेश को एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व ही दिनांक 01.05.2024 को 6 माह 10 दिन बाद भुनाकर ₹1,31,35,639/- की राशि वसूल करके एच डी एफ सी बैंक में 7.10% की ब्याज दर से निवेशित कर दी गई थी।
- (iii) यद्यपि वर्तमान अंकेक्षण केवल 31.03.2024 तक ही सीमित है तदपि पुराना निवेश होने तथा दिनांक 21.10.2023 को पुनर्निवेशित किये जाने के तथा अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किये जाने के कारण पंजाब नेशनल बैंक के उपरोक्त वर्णित निवेश की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि परिशिष्ट "12" में दिये विवरणानुसार ₹1,29,30,740/- पर 5.70% की तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज दर से गणना करने पर 01.05.2024 को परिपक्वता राशि ₹1,33,22,665/- अपेक्षित थी।
- (iv) परन्तु बैंक द्वारा इसके स्थान पर ₹1,31,35,639/- का भुगतान किया गया है। इस प्रकार इस खाते में बैंक द्वारा ₹1,87,026/- का कम ब्याज भुगतान किया गया था।

इस सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी से अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-67 दिनांक: 21/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि. /सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः शेष ब्याज प्राप्त करने का मामला बैंक से उठाते हुए यथाशीघ्र इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11. नगर परिषद् के वर्ष 2023-24 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ :-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा अनुमोदित वर्ष 2023-24 के बजट की उपलब्ध करवाई गई प्रति के अवलोकन पश्चात निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ अपेक्षित हैं:-

(11.1) बजट में प्रस्तावित तथा वास्तविक आय-व्यय की तुलना :-

आय व्यय का शीर्ष	वर्ष 2023-24
आय	
स्व:-स्रोतों से प्रस्तावित आय	31829500
स्व:-स्रोतों से वास्तविक आय	3108188
अन्तर	28721312 (90.23% कमी)
अनुदानों से प्रस्तावित आय	22250000
अनुदानों से वास्तविक आय	28400523
अन्तर	6150523 (27.64% अधिक्य)
व्यय	
कुल प्रस्तावित व्यय	46050000
कुल वास्तविक व्यय	27241535
अन्तर	18808465 (40.84% कमी)

(11.2) अनुमोदन

नगर परिषद् के बजट का अनुमोदन निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के लिये कार्यालय पत्र संख्या: UD-MI(1)-26/2011-I- 16494-96 दिनांक 06.09.2023 द्वारा किया गया है।

(11.3) बजट प्राक्कलन पाँच माह से भी अधिक विलम्ब से अनुमोदित करवाना:-

हिमाचल प्रदेश नगर परिषद् अधिनियम 1994 के नियम 249(1 व 2) व 249(5) के प्रावधानानुसार नगर परिषद् का बजट प्राक्कलन एक फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच की जिलाधीश के माध्यम से समय पर अनुमोदन हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रेषित किया जाना अपेक्षित था। वर्ष 2023-24 के बजट की अनुमोदित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिलाधीश मण्डी के माध्यम से यह पत्र संख्या: Mandi-DC-UDA(e-office-107297)/2023-26214-15

दिनांक 21.08.2023 द्वारा निदेशक, हिमाचल प्रदेश शहरी विकास विभाग को प्रस्तुत किये जाने पर गत उप-अनुच्छेद 10.2 में दिये विवरणानुसार पाँच माह से भी अधिक विलम्ब से अनुमोदित किया गया था। देरी से बजट अनुमोदित करवाने से सारी बजट प्रक्रिया ही निरर्थक हो जाती है।

(11.4) बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफलता :-

गत उप-अनुच्छेद (11.1) में वर्णित प्रस्तावित बजट अनुमानों तथा वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के आँकड़ों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुदान आय जोकि अनुमान से अधिक है के अपवाद के अतिरिक्त अन्य सभी प्रस्तावित बजट लक्ष्यों को प्राप्त करने से नगर परिषद् दूर है। वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि

1. नगर परिषद् द्वारा या तो लक्ष्य प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयत्न नहीं किये गये; अथवा
2. प्रस्तावित लक्ष्य ही अव्यवहारिक निर्धारित किये गये; अथवा
3. अकर्मण्यता व निष्क्रियता के कारण नगरवासियों को अपेक्षित सुविधाएँ देने में विफलता रही।

उपरोक्त अंकेक्षण टिप्पणियों से स्पष्ट है कि नगर परिषद् सरकारघाट द्वारा बजट को लेकर किसी प्रकार की गम्भीरता का भाव नहीं है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करते हुये भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

12. नगर परिषद् की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण :-

नगर परिषद् की गत तीन वर्षों से सम्बन्धित आय व व्यय का विवरण निम्न प्रकार से है:-

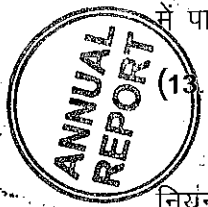
वित्तीय वर्ष	आय (स्व: स्त्रोत+अनुदान+ब्याज) (₹)	व्यय (₹)
2021-22	35586923	30181576
2022-23	43283083	32660388
2023-24	35735580	27241535

13. आय के अंकेक्षण से सम्बन्धित टिप्पणियाँ :-

नगर परिषद् द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय के सम्बन्ध में पाई गई अनियमितताओं को निम्नानुसार वर्णित किया गया है:-

(13.1) विविध संसाधनों से ₹98.56 लाख की आय वसूली हेतु शेष

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध



करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.2024 को निम्न तालिका अनुसार संक्षिप्त रूप में संकलित विविध संसाधनों से **₹98,55,800/-** की आय वसूली हेतु शेष थी। इस वसूली का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "13 से 16" पर उपलब्ध है।

क्रम	आय की मद	परिशिष्ट संख्या	दिनांक 31.03.2023 को वसूली हेतु शेष राशि(₹)
1	सम्पत्ति कर (अधिभार सहित)	परिशिष्ट "13"	6243501
2	दुकानों का किराया	परिशिष्ट "14"	3179903
3	मोबाईल टावर स्थापना एवं नवीनीकरण शुल्क	परिशिष्ट "15"	430611
4	विवाह पंजीकरण शुल्क	परिशिष्ट "16"	1785
	कुल योग:		9855800

(13.2) 8 से 26 वर्षों तक सम्पत्तिकर की ₹24.07 लाख की राशि जमा न करवाने वाले 24

बकायेदारों/करदाताओं के विरुद्ध अपेक्षित वैधानिक कार्रवाई न करना

अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत की गई सूचनाओं तथा अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्तिकर की वसूली हेतु शेष कुल **₹62,43,501/-** के बकाया में से

₹24,07,204/- की राशि तो केवल 24 बकायेदारों के विरुद्ध ही शेष थी जिसे पिछले **8 से 26**

वर्षों तक चुकता नहीं किया गया था। इस राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "17" पर दिया

गया है। हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 86 व 87 तथा निदेशक, शहरी

विकास द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों द्वारा करों की शत/प्रतिशत वसूली के

निर्देश जारी किये गये हैं परन्तु इनकी अनुपालना नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना

संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-77 दिनांक: 24/03/2025 द्वारा

वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न.

परि./सरका./2025-- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन

दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन बकायेदारों/करदाताओं से इस राशि की वसूली

न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम

258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर

ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(13.3) 25 वर्षों (301 माह) तक ₹30.95 लाख, दुकान किराये की राशि वसूली हेतु लम्बित होने पर भी अधिकतर मामलों में कोई ठोस कार्रवाई न करना

दुकान किराया माँग व प्राप्ति रजिस्टर तथा प्रस्तुत सूचना के अवलोकन पर पाया गया कि 33 किरायेदारों कुल बकाया ₹31,79,903/- किराया राशि में से परिशिष्ट "18" पर दिये विवरणानुसार ₹30,94,757 / (97.32%) की राशि 24 किरायेदारों द्वारा पिछले 20 से लेकर 301 माह (25 वर्ष) तक से नहीं चुकता नहीं की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि यह किरायेदार बकाया किराये का भुगतान करने के इच्छुक ही नहीं हैं। परिशिष्ट "14" पर उपलब्ध करवाए गये विस्तृत विवरण के अवलोकन पर पाया गया कि इन बकायेदारों में से मात्र 11 के ऊपर ही अदालती कार्रवाई आरम्भ की गई है। शेष 13 बकायेदारों से वसूली हेतु कोई कदम नहीं उठाया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-69 दिनांक: 24/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(13.4) असुरक्षित घोषित दुकानों, जिनके लिये नई किराया माँग किया जाना बन्द किया जा चुका है, में से 6 दुकानों के विरुद्ध ₹1.86 लाख किराया वसूली हेतु शेष।

परिशिष्ट "14" पर वर्णित बकाया किराया विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि असुरक्षित घोषित 26 दुकानों से नगर परिषद् के प्रस्ताव संख्या 8/170 दिनांक 04.10.2022 के आधार पर दिनांक 01.10.2022 से नई किराया माँग करना बन्द किया जा चुका है। इन 26 में से 20 किरायेदारों द्वारा अपना सम्पूर्ण बकाया चुकता किया जा चुका है परन्तु परिशिष्ट "19" पर दिये विवरणानुसार शेष 6 बकायेदारों के विरुद्ध दिनांक 31.03.2024 को ₹1,86,036/- की राशि वसूली हेतु शेष थी। इनमें से केवल श्री अमर सिंह के विरुद्ध ही किराया वसूली हेतु वैधानिक कार्रवाई आरम्भ की गई है

जबकि शेष पाँच से बकाया वसूली हेतु कोई प्रयत्न नगर परिषद् द्वारा नहीं किया गया है। एक ओर तो इन किरायेदारों से नई किराया माँग बन्द कर दी गई है वहीं दूसरी ओर नगर परिषद् द्वारा इस बकाया किराया की वसूली हेतु नियमानुसार कोई वैधानिक प्रक्रिया आरम्भ नहीं करना चिन्तनीय है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि. /2025/—73 दिनांक: 24/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। अतः इन किरायेदारों से बकाया किराये की वसूली न किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 के नियम 258 के उप नियम (2) तथा (3) के प्रावधानों के आधार पर इनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर ठोस कार्रवाई करके बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदनुसार अवगत करवाया जाए।

(13.5) असुरक्षित घोषित 26 दुकानों को खाली करवाकर न तो पुनः निर्मित करना और न ही इन दुकानों के किरायेदारों से ₹12.71 लाख किराये की वसूली करना।

परिशिष्ट "14" पर वर्णित 26 दुकानों को असुरक्षित घोषित किये जाने पर नगर परिषद् के प्रस्ताव संख्या 8/170 दिनांक 04.10.2022 के आधार पर इनके लिये दिनांक 01.10.2022 से नई किराया माँग करना बन्द कर दिया गया था। इसी के साथ यह भी अपेक्षा की जाती थी कि इन दुकानों को तुरन्त खाली करवाकर इस कम्पलैक्स को तोड़कर नये कम्पलैक्स का निर्माण किया जाये ताकि यथाशीघ्र नगर परिषद् को किराया आय के रूप में राजस्व प्रवाह आरम्भ हो सके। परन्तु ऐसा नहीं हुआ और नगर परिषद् द्वारा नई किराया वसूली तो बन्द कर दी गई परन्तु इन दुकानों का खाली नहीं करवाया गया और आज भी वह किरायेदार इन दुकानों पर यथावत कब्जा जमाये हुये अपना कारोबार निर्बाध चला रहे हैं। नगर परिषद् द्वारा अति शीघ्रता में लिये गये इस अदूरदर्शी निर्णय के कारण 01.10.2022 से 31.03.2025 तक (वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक) के 40 महीनों में **परिशिष्ट "20"** पर दिये विवरणानुसार **₹12,70,800/—** की राशि की राजस्व हानि हुई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—83 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः नगर परिषद् द्वारा अपने इस निर्णय पर पुनः विचार

करके इस निरन्तर राजस्व हानि पर त्वरित रोक लगाने के अतिरिक्त इस राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(13.6) दुकान किराया अनुबन्धों का नवीनीकरण न करना।

दुकान किराया अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा यथासमय किराया वृद्धि तो की जा रही है परन्तु परिशिष्ट "14" पर वर्णित कुल 50 दुकानों तथा 5 मॉस बिक्री खोखों में से 26 दुकानें असुरक्षित घोषित करके खाली करवाने की प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई थी और शेष 29 किरायेदारों में से 10 के ऊपर बकाया वसूली हेतु अदालती कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है, 2 के साथ कोई अनुबन्ध हस्ताक्षरित नहीं है तथा 17 के साथ जो अनुबन्ध हस्ताक्षरित हैं उनमें से मात्र 3 ही अनुबन्ध 31.03.2024 तक मान्य थे बाकी 14 की मान्यता अवधि समाप्त हो चुकी थी। इससे स्पष्ट है कि नगर परिषद् इन अनुबन्धों के वैधानिक महत्व के प्रति पूर्णतः उदासीन है। किरायेदारों के साथ किराया अनुबन्धों का नवीनीकरण नहीं किया जाना एक गम्भीर वैधानिक चूक है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/-74 दिनांक: 24/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि. /सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस सन्दर्भ आवश्यक कार्रवाई यथाशीघ्र सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(13.7) तहबाजारी की ₹3.31/- लाख की राशि की कम वसूली तथा इसके लिये माँग व प्राप्ति तथा अन्य संकलित अभिलेख का अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "21" में दिये विवरणानुसार नगर परिषद् द्वारा तहबाजारी की मद में ₹331420/- की राशि कम वसूल गई थी। अभिलेख की जाँच में पाया कि तहबाजारी की वसूली पूर्णतयः खोखा तथा रेहड़ी फड़ी व्यावसायियों की कृपादृष्टि पर छोड़ रखी गई है। यदि कोई तहबाजारी का भुगतान कर देता है तो भी उचित, न करे तो भी उचित क्योंकि नगर परिषद् के पास तहबाजारी रसीदों के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख इस वसूली की माँग व संग्रहण के सत्यापन हेतु संकलित नहीं है। जबकि नियमानुसार आय के इस एक महत्वपूर्ण स्रोत के उचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था स्थापित किया जाना अपेक्षित था।

1. स्थाई छोटे व्यापारियों को निर्धारित शुल्क वसूल करके मान्यता प्रदान करते हुये पहचान पत्र जारी तथा वार्षिक नवीनीकरण करना।

2. प्रत्येक व्यावसायी के लिये स्थान विशेष चिह्नित करना।
3. सभी अस्थाई छोटे व्यावसायियों को निर्धारित शुल्क वसूल करके एक निश्चित अवधि के लिये मान्यता प्रदान करते हुये पहचान पत्र जारी तथा उसके लिये स्थान विशेष चिह्नित करना।
4. तहबाजारी के लिये माँग व संग्रहण के वित्तीय नियन्त्रण हेतु संकलित रजिस्टर का अनुरक्षण करना।

परन्तु नगर परिषद् द्वारा न तो यह व्यवस्था स्थापित की गई थी और न ही संकलित अभिलेख अनुरक्षित किया गया था। इस कारण वसूल की गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका। यद्यपि अंकेक्षण द्वारा कम वसूल **₹3,31,420/-** राशि की गणना कुल सम्भावित वार्षिक वसूली तथा वास्तविक वसूली के अन्तर के आधार पर की गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/-84 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इस **₹3,31,420/-** की राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदनुसार अवगत करवाया जाए।

(13.8) वाहन पार्किंग शुल्क की ₹900/- राशि को कम जमा करना।

नगर परिषद् के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के लेखों के अंकेक्षण में नमूना जाँच हेतु चयनित माह 04/2023 के लिये प्रस्तुत वाहन पार्किंग शुल्क की रसीदों के रोकड़ बही से मिलान करने पर पाया गया कि निम्न तालिका में दिये विवरणानुसार इस एक माह में **₹900/-** की राशि कम जमा करवाई गई थी। इस राशि की गणना मात्र एक चयनित माह के लिये ही अंकेक्षण द्वारा की गई है। इस बात की पूरी सम्भावना है कि यह त्रुटि सम्पूर्ण वित्त वर्ष में बार-बार दोहराई गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/-76 दिनांक: 24/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस **₹900/-** की कम जमा राशि के साथ-साथ वर्ष के शेष 11 महीनों के लिये भी इन रसीदों से जमा राशि का मिलान रोकड़ बही से नगर परिषद् द्वारा अपने स्तर पर करके कम जमा कुल राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदनुसार अवगत करवाया जाए।

क्रम	दिनांक	रोकड़ बही पृष्ठ	पार्किंग रसीद संख्या	एकत्र राशि (₹)	जमा की गई राशि (₹)	कम जमा राशि (₹)
1	03.04.2023	49	12878 से 12930	1900	1870	30
2	04.04.2023	50	12930 से 12960	1120	1070	50
3	06.04.2023	51	12992 से 13000	450	300	150
4	06.04.2023	51	1 से 19	890	870	20
5	10.04.2023	52	20 से 68	3060	3030	30
6	13.04.2023	54	128 से 156	1250	1210	40
7	17.04.2023	54	157 से 218	2940	2770	170
8	19.04.2023	56	247 से 275	1420	1410	10
9	20.04.2023	56	276 से 302	1220	1090	130
10	21.04.2023	57	303 से 332	1540	1530	10
11	24.04.2023	57	333 से 382	2070	1880	190
12	25.04.2023	58	383 से 414	1230	1200	30
13	26.04.2023	59	415 से 450	1290	1270	20
14	28.04.2023	62	495 से 520	1200	1180	20
			कुल योग	21580	20680	900

(13.9) शराब उपकर की वसूली न होना:-

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के उत्तर में प्रस्तुत आय व्यय के आँकड़ों के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद् को शराब उपकर की मद में वर्ष 2023-24 में कोई प्राप्ति सम्बन्धित विभाग से नहीं हुई थी। अतः आय के इस संसाधन के दोहन हेतु प्राथमिकता के आधार पर मामला सम्बन्धित विभाग तथा सरकार के साथ उठाकर वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

(13.10) घर-द्वार कचरा संग्रहण शुल्क की ₹5.81/- लाख की राशि की कम वसूली तथा इसके लिये माँग व प्राप्ति तथा अन्य अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "22" में दिये विवरणानुसार नगर परिषद् द्वारा घरद्वार कचरा संग्रहण शुल्क की मद में वसूली योग्य कुल ₹13,74,720/- की राशि में से मात्र

₹7,93,770/- की वसूली की गई थी जबकि **₹5,80,950/-** की राशि की वसूली शेष थी। अंकेक्षण द्वारा घरों, दुकानों, कार्यालयों आदि की कुल संख्या के बारे में उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर कुल सम्भावित वार्षिक वसूली तथा वास्तविक वसूली के अन्तर के अनुसार कम गणना की गई है।

इसके अतिरिक्त अभिलेख की जाँच में यह भी पाया गया कि इस शुल्क की वसूली पर वित्तीय तथा प्रबन्धकीय नियन्त्रण स्थापित करने हेतु कोई व्यवस्था स्थापित नहीं की गई थी। नगर परिषद् के पास रसीदों के अतिरिक्त कोई भी अभिलेख इस वसूली का सत्यापन करने हेतु अनुरक्षित नहीं है। जबकि नियमानुसार आय के इस एक महत्वपूर्ण स्रोत के उचित वित्तीय प्रबन्धन हेतु इसके लिये माँग व संग्रहण का संकलित रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना नितान्त आवश्यक था। इस कारण कुल माँग व वसूल की गई राशि का सत्यापन नहीं किया जा सका है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-84 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। है। अतः इस अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा इस **₹5,80,950/-** की राशि की वसूली सुनिश्चित करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को भी तदनुसार

अवगत करवाया जाए।

(अ) सफाई व्यवस्था/घर-द्वार कूड़ा-कचरा संग्रहण पर व्यय तथा एकत्र शुल्क में राशि **₹50 लाख का अन्तर :-**

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-71 दिनांक: 24/03/2025 के सन्दर्भ में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 (परिशिष्ट "23") द्वारा सूचित किया गया कि नगर परिषद् द्वारा वर्ष 2023-24 में 247 मीट्रिक टन बायोडिग्रेडेबल तथा 230 मीट्रिक टन (कुल 477 मीट्रिक टन) ठोस अपशिष्ट के निस्तारण पर क्रमशः **₹53,58,612/-** तथा **₹11,02,468/-** कुल **₹64,61,080/-** की राशि व्यय की गई थी।

परन्तु घर-द्वार कचरा संग्रहण शुल्क के माँग व प्राप्ति रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा आवासीय भवनों से मात्र **₹30/-** तथा व्यावसायिक भवनों के लिये **₹50/-** से **₹300/-** की मासिक दर से वसूली की जा रही है। इसमें भी वसूली योग्य कुल **₹13,74,720/-**

की राशि में से मात्र ₹7,93,770/- की वसूली की गई थी जबकि ₹5,80,950/- की राशि की वसूली शेष थी। स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत कचरा संग्रहण शुल्क की व्यवस्था इसलिये रखी गई है ताकि नागरिकों की भी सफाई व्यवस्था में भागीदारी सुनिश्चित हो सके तथा उन्हें भी अपने दायित्व का बोध रहे। शुल्क दरों से स्पष्ट है कि सफाई व्यवस्था पर किये जा रहे लगभग पैंसठ लाख के व्यय की तुलना में यह प्रतिपूर्ति वैसे भी नाममात्र ही है तथा उसमें भी सभी नागरिकों से शुल्क वसूली यथासमय न करना कतई तर्कसंगत नहीं है। समस्त अभिलेख तथा सफाई व्यवस्था हेतु अपनाई गई व्यवस्था के विश्लेषण से स्पष्ट है कि;

1. नगर परिषद् को कचरा संग्रहण शुल्क की दरों को सन्शोधित करके तर्कसंगत तथा व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है; तथा
2. सभी नागरिकों को इस शुल्क का भुगतान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाये ताकि इस पर किये जा रहे व्यय में से अधिकतम राशि की प्रतिपूर्ति सम्भव हो सके।

अतः इस अनियमितता के बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करना तथा नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाये।

14. संस्थापना व्यय।

(14.1) श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी तथा श्री पवन कुमार, सेवाकर्मी के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का ₹1.58 लाख का अधिक भुगतान करना।

अवधि 04/2023 से 12/2024 तक के अंकेक्षण में श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी तथा श्री पवन कुमार, सेवाकर्मी की सेवा पत्रिकाओं की जाँच में निम्न वर्णित त्रुटियाँ पाई गई हैं:-

1. श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी तथा श्री पवन कुमार सेवादार की नियुक्ति ₹4900-10680 + 1300 ग्रेडपे के वेतनमान में दिनांक 17.02.2012 को हुई थी।
2. दो वर्ष का सेवाकाल पूर्ण करने पर दिनांक 17.02.2014 से उनका वेतन हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या: फिन (पी आर)-बी(7)-64/2010 दिनांक 27.09.2012 द्वारा किये गये वेतन पुनर्संशोधन के प्रावधानों के अनुसार ₹4900-10680 + 1650 ग्रेडपे के वेतनमान में बिना किसी वेतनवृद्धि के निर्धारित किया जाना अपेक्षित था जो कि नहीं किया गया है।
3. उपरोक्त के स्थान पर उन्हें दिनांक 17.02.2016 को चार वर्ष पूरे होने से 17 दिन पूर्व 01.02.2016 से ही "सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना (ACPS 4-9-14)" के प्रावधानों के आधार पर ₹4900-10680 + 1650 ग्रेडपे के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ अनियमित रूप से वेतन

निर्धारण किया गया है। जबकि यदि लाभ इसी योजना के अधीन जारी भी किया जाता है तो ₹4900-10680 + 1650 ग्रेडपे के स्थान पर ₹4900-10680 + 1400 ग्रेडपे में एक वेतनवृद्धि के साथ दिया जाना अपेक्षित था।

4. तत्पश्चात इन दोनों को दिनांक 17.02.2021 को नौ वर्ष पूरे होने से 17 दिन पूर्व 01.02.2021 से ही 'सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना' के प्रावधानों के आधार पर ₹5910-20200 + 1900 ग्रेडपे के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ अनियमित वेतन निर्धारण किया गया है। जबकि यदि लाभ इसी योजना के अधीन जारी भी किया जाता है तो ₹5910-20200 + 1900 ग्रेडपे के स्थान पर ₹4900-10680 + 1650 ग्रेडपे में एक वेतनवृद्धि के साथ दिया जाना अपेक्षित था।

5. इस अनियमितता बारे अवधि 04/2020 से 03/2022 के अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 18(1) में भी आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु नगर परिषद् द्वारा इस पर कोई अनुपालना कार्रवाई नहीं की गई है।

उपरोक्त अनियमितताओं के कारण इन दोनो कर्मचारियों को वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान परिषद् द्वारा किया जा रहा है। नियुक्ति की दिनांक 01.02.2012 से इस अनियमित निर्धारित किये गये तथा वास्तविक देय वेतन का विवरण निम्न प्रकार से है।

क्र	दिनांक	निर्धारित किया गया अनियमित वेतन	वास्तव में देय अपेक्षित वेतन
1	17.02.2012	₹4900+₹1300= ₹6200	नियुक्ति से समय वेतन निर्धारण। ₹4900+₹1300 =₹6200
2	01.02.2013	₹5090+₹1300= ₹6390	वार्षिक वेतनवृद्धि ₹5090+₹1300 =₹6390
3	01.02.2014	₹5290+₹1300= ₹6590	वार्षिक वेतनवृद्धि ₹5290+₹1300 =₹6590
4	17.02.2014	₹5290+₹1300= ₹6590	— वेतन पुनर्संशोधन के प्रावधानों के अनुसार ₹4900-10680 + 1650 ग्रेडपे के वेतनमान में बिना किसी वेतनवृद्धि के निर्धारित अपेक्षित वेतन ₹5290+₹1650 =₹6940
5	01.02.2015	₹5490+₹1300= ₹6790	वार्षिक वेतनवृद्धि ₹5500+₹1650 =₹7150

6	01.02.2016	$\text{₹}5910 + \text{₹}1650 = \text{₹}7560$	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में चार वर्ष के सेवाकाल पर $\text{₹}4900 - 10680$ + 1650 ग्रेडपे के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ अनियमित रूप से जारी किया गया लाभ।	$\text{₹}5720 + \text{₹}1650 = \text{₹}7370$	वार्षिक वेतनवृद्धि
7	01.02.2017	$\text{₹}6140 + \text{₹}1650 = \text{₹}7790$	वार्षिक वेतनवृद्धि	$\text{₹}5950 + \text{₹}1650 = \text{₹}7600$	वार्षिक वेतनवृद्धि
8	01.02.2018	$\text{₹}6380 + \text{₹}1650 = \text{₹}8030$	वार्षिक वेतनवृद्धि	$\text{₹}6180 + \text{₹}1650 = \text{₹}7830$	वार्षिक वेतनवृद्धि
9	01.02.2019	$\text{₹}6620 + \text{₹}1650 = \text{₹}8270$	वार्षिक वेतनवृद्धि	$\text{₹}6420 + \text{₹}1650 = \text{₹}8070$	वार्षिक वेतनवृद्धि
10	01.02.2020	$\text{₹}6870 + \text{₹}1650 = \text{₹}8520$	वार्षिक वेतनवृद्धि	$\text{₹}6670 + \text{₹}1650 = \text{₹}8320$	वार्षिक वेतनवृद्धि
11	01.02.2021	$\text{₹}7130 + \text{₹}1650 = \text{₹}8780$	वार्षिक वेतनवृद्धि	$\text{₹}6920 + \text{₹}1650 = \text{₹}8570$	वार्षिक वेतनवृद्धि
12	01.02.2021	$\text{₹}7400 + \text{₹}1900 = \text{₹}9300$	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में नौ वर्ष के सेवाकाल पर $\text{₹}5910 - 20200$ + 1900 ग्रेडपे के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ जारी किया गया अनियमित लाभ।	—	वार्षिक वेतनवृद्धि
	17.02.2021	$\text{₹}7400 + \text{₹}1900 = \text{₹}9300$	—	$\text{₹}7180 + \text{₹}1650 = \text{₹}8830$	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में नौ वर्ष के सेवाकाल पर $\text{₹}5910 - 20200$ + 1650 ग्रेडपे के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि के साथ

					जारी किया जाने वाला अपेक्षित लाभ।
13	01.02.2022	₹7680+₹1900= ₹9580	वार्षिक वेतनवृद्धि	₹7450+₹1650 =₹9100	वार्षिक वेतनवृद्धि
वेतन संशोधन नियम 2022 के प्रावधानों के आधार पर दिनांक 01.01.2016 से वेतन पुनर्निर्धारण					
14	01.01.2016	₹18000	2.59 के फैक्टर के साथ दिनांक 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ जारी करते हुये लेवल-1 में सैल 1 में किया गया वेतन निर्धारण।	₹18000	2.59 के फैक्टर के साथ दिनांक 01.01.2016 से वेतन संशोधन का लाभ जारी करते हुये लेवल-1 में सैल 1 में किया गया वेतन निर्धारण।
15	01.02.2016	₹18500	सैल 2 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹18500	सैल 2 वार्षिक वेतनवृद्धि
16	01.02.2016	₹19100	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में चार वर्ष के सेवाकाल पर सैल 3 में दी गई एक वेतनवृद्धि के साथ जारी किया गया अनियमित लाभ।	₹18500	—
17	01.02.2017	₹19700	सैल 04 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹19100	सैल 03 वार्षिक वेतनवृद्धि
18	01.02.2018	₹20300	सैल 05 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹19700	सैल 04 वार्षिक वेतनवृद्धि
19	01.02.2019	₹20900	सैल 06 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹20300	सैल 05 वार्षिक वेतनवृद्धि
20	01.02.2020	₹21500	सैल 07 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹20900	सैल 06 वार्षिक वेतनवृद्धि
21	01.02.2021	₹22100	सैल 08 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹21500	सैल 07 वार्षिक वेतनवृद्धि
22	01.02.2021	₹22800	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में नौ वर्ष के सेवाकाल पर सैल 9 में दी गई एक	₹22100	“सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना” में नौ वर्ष के सेवाकाल पर सैल 8 में दी गई एक वेतनवृद्धि के साथ

			वेतनवृद्धि के साथ जारी किया गया लाभ।		जारी किया गया लाभ।
23	01.02.2022	₹23500	सैल 10 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹22800	सैल 9 वार्षिक वेतनवृद्धि
24	01.02.2023	₹24200	सैल 11 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹23500	सैल 10 वार्षिक वेतनवृद्धि
25	01.02.2024	₹24900	सैल 12 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹24200	सैल 11 वार्षिक वेतनवृद्धि
26	01.02.2025	₹25600	सैल 13 वार्षिक वेतनवृद्धि	₹24900	सैल 12 वार्षिक वेतनवृद्धि

उपरोक्त अनियमितता के कारण इन दोनो कर्मचारियों को ₹79189/- प्रत्येक की दर से कुल ₹158378/- परिशिष्ट "24" में दिये विस्तृत विवरणानुसार अनियमित व अधिक भुगतान किया गया है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि. /2025/-85 दिनांक: 26/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः दिए गए आश्वासन अनुसार इस अनियमित भुगतान राशि की वसूली यथाशीघ्र सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाये।

(14.2) नगर परिषद् कर्मचारियों के वेतन से वैधानिक प्रावधानानुसार सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अंशदान की कटौती न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016 के नवम्बर माह से सभी स्थाई, अस्थायी, अनुबन्धित, दिहाड़ीदार, अंशकालिक आदि सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना आरम्भ की थी। वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या फिन-आई एफ-(एफ)/9-5/2012 दिनांक 10.11.2023 के अनुसार उक्त सभी प्रकार के कर्मचारियों के वेतन से वार्षिक प्रीमियम माह 11/2023 के वेतन से ₹200/- दर से काटा जाना अपेक्षित था जोकि नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा नहीं किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-81 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि. /सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन

दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।



(14.3) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनियमित पेंशन संशोधन का लाभ देकर ₹9.76/- लाख का अधिक भुगतान

पेंशन भुगतान के अभिलेख तथा वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा निम्न तालिका में दिये संक्षिप्त विवरणानुसार अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 01.03.2022 से पेंशन संशोधन नियम 2022 का लाभ अनियमित रूप से जारी कर दिया गया है जबकि शहरी विकास विभाग द्वारा नगर परिषद् कर्मचारियों के लिये इस पेंशन संशोधन को वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक अपनी स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है। इसी कारण से जो कर्मचारी दिनांक 01.01.2022 के पश्चात भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका वेतन संशोधन तो नये नियमों के अनुसार किया जा चुका है परन्तु पेंशन निर्धारण वेतन संशोधन नियम, 2009 के आधार पर नोशनल वेतन से किया जा रहा है जैसा कि 31.01.2023 को सेवानिवृत्त श्री कुलदीप, सेवानिवृत्त चालक के पेंशन निर्धारण से भी स्पष्ट है। इस अनियमितता के कारण इन तीन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिनांक 28.02.2025 तक परिशिष्ट "25 से 27" में दिये विस्तृत विवरणानुसार कुल ₹9,76,212/- का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-80 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम	सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम	पदनाम	परिशिष्ट संख्या	01.03.2022 से 28.02.2025 तक अधिक भुगतान की गई राशि (₹)
1	श्रीमति दामोदरी देवी	सफाईकर्मी	परिशिष्ट "25"	280908
2	श्रीमति कलौ देवी	सफाईकर्मी	परिशिष्ट "26"	280908
3	श्री धनी राम	सेवादर	परिशिष्ट "27"	414396
	कुल योग			976212

(14.4) 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर की 10% दर से पेंशन भत्ते का लाभ जारी नहीं करना।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रावधित नियमों के अनुसार सभी पेंशन व पारिवारिक पेंशन भोगियों को 65, 70 तथा 75 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की दर से देय पेंशन भत्ते का लाभ जारी किया जाता है। परन्तु श्रीमति दामोदरी देवी तथा श्रीमति कलौ देवी दोनों सेवानिवृत्त सफाईकर्मियों की 15.02.1953 की एक ही जन्मतिथि होने के कारण 70 वर्ष की आयु पार करने पर भी उन्हें 10% के स्थान पर 5% की मासिक दर से पेंशन भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—80 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में नियमानुसार अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाई तथा अनियमित भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(14.5) पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों के वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र वाँछित

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रतिवर्ष जुलाई माह में पेंशन तथा पारिवारिक पेंशन भोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है जिसके अभाव में अगस्त माह से आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर ही पेंशन भुगतान रोक दिया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद् के वर्ष 2023-24 में पेंशन भुगतान के अभिलेख के अवलोकन पर उक्त जीवन प्रमाणपत्र अनुपलब्ध पाये गये थे। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—80 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार चूकसुधार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2024 तक जारी ₹250 लाख के अस्थाई अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/—23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में



परिशिष्ट "28" पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2024 को ₹2,50,00,000/- की ऐसी अग्रिम आहरित राशियां समायोजन हेतु शेष थीं जोकि विभिन्न निर्माण कार्यों का निष्पादन निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु जारी की गई हैं। वर्ष 2023-24 में कोई अग्रिम निक्षेप कार्य हेतु जारी नहीं किया गया है। यह सभी अग्रिम दिनांक 01.04.2023 से पूर्व में जारी किये गये तथा इनका वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक समायोजन नहीं किया गया है। यह बहुत चिन्तनीय है कि इतना समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी इन अग्रिमों के समायोजन हेतु नगर परिषद द्वारा कोई गम्भीर प्रयत्न नहीं किया गया है। अतः इनका समायोजन न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्रवाई करके सम्बन्धित निर्माण कार्य निष्पादन करवाने वाले विभागों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

16. निर्माण कार्यों में व्यय सम्बन्धी अनियमितताएँ:

(16.1) निर्माण कार्य बिल में ₹7655/- का अधिक भुगतान।

कार्य का विवरण:

1	Work	C/O Footpath from toward kylu mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP
2	Contractor	Hitesh Kumar
3	MB and Page	25438/20
4	Award letter & Date	MCSKT Award Letter/2023-24-1850-1854 dated 20-10-2023
5	Estimated cost	₹497946/-
6	Award amount	₹456296/-
7	Final Bill amount	₹473430/-
8	Date of completion	29-02-2024
9	Time allowed for completion	Three Months

अवधि 04/23 से 03/24 तक के लेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 46 दिनांक 29.2.2024 द्वारा ₹4,73,430/- की लागत से निष्पादित निर्माण कार्य का भुगतान श्री हितेश कुमार संविदाकार को किया गया था। इस निर्माण कार्य की अंकेक्षण जाँच में पाया गया कि मापन

पुस्तिका के पृष्ठ 16-17 पर मद संख्या 6/6 P/L 60 mm thick factory made cement concrete interlocking paver blocks की रिकॉर्ड प्रविष्टि दर्ज करते समय कुल मात्रा का योग 163.87 वर्गमीटर के लिये दर्ज किया गया था जबकि वास्तव में यह 156.58 वर्गमीटर (13.5+13.5+12.37+13.63+4.95+15.5+14.25+15.75+16.26+10.06+11.25+11.25+0.81+3.50) है। इस प्रकार 7.29 वर्गमीटर (163.87-156.58) मात्रा के लिये ₹1050/- प्रति वर्गमीटर की दर से कुल ₹7655/- का अधिक भुगतान इस बिल में किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-87 दिनांक: 27/03/2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः उपरोक्त वर्णित भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति उचित स्रोत से सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाए।

(16.2) कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से आबंटन पत्र में प्रावधित शर्त के अनुसार ₹1.42 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना

नगर परिषद् के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि "परिशिष्ट "29" में वर्णित 6 निर्माण कार्य बिलों का आबंटन करते समय आबंटन पत्र में कार्य निष्पादन पूर्ण करने हेतु जो समय अवधि निर्धारित की गई थी उसमें कार्य पूरा नहीं किया गया था। इन सभी प्रकरणों में कार्य निष्पादन में देरी के लिये समय बढ़ौतरी के लिये न तो संविदाकार द्वारा किसी प्रकार का अनुरोध किया गया था और न ही नगर परिषद् द्वारा समय विस्तार दिया गया है। इन संविदाकारों द्वारा हस्ताक्षरित अनुबन्ध के क्लॉज़ 2 में दिये प्रावधान अनुसार इन सभी कार्यों का अन्तिम भुगतान करने से पूर्व कार्य निष्पादन में हुई देरी के लिये क्षतिपूर्ति राशि की कटौती अन्तिम बिल में से की जानी अपेक्षित थी जो कि नहीं की गई। इस अनियमितता के कारण अलग-अलग संविदाकारों को ₹1,42,320/- का अधिक भुगतान किया गया था। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-86 दिनांक: 27/03/2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः इस अनियमित व अधिक भुगतान की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

(16.3) निर्माण कार्य निष्पादन में सक्षम प्राधिकारी की संशोधित प्रशासनिक तथा व्यय स्वीकृति (AA&ES) के बिना किया गया ₹11.30 लाख का अनियमित भुगतान

सी. पी. डलल्यू डी. कोड 2014 के पैरा 2.3.5 के प्रावधानों के अनुसार निष्पादित निर्माण कार्य बिलों का भुगतान सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति तथा व्यय स्वीकृति राशि (AA&ES) से यदि 10% प्रतिशत की प्रावधित मात्रा से अधिक राशि के लिये किया जाता है तो कुल व्यय राशि के लिये सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति अपेक्षित है। नगर परिषद् सरकाघाट के अवधि 04/2023 से 03/2024 तक के चयनित माह के व्यय वाउचरों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि **परिशिष्ट "30"** में वर्णित दो निर्माण कार्य बिलों में कुल वास्तविक व्यय स्वीकृत राशि की तुलना में **26% तथा 19% (कुल ₹2,06,577/-) तक की अधिक राशि के लिये किया गया था परन्तु यह व्यय प्रावधित सीमा से अधिक होने पर भी** सक्षम प्राधिकारी की संशोधित व्यय स्वीकृति नहीं ली गई थी। इस कारण इन निर्माण कार्य बिलों में किया गया कुल **₹11,29,784/-** का कुल व्यय पूर्णतः अनियमित है। है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.—शिमला/अंके. अधि./2025/-82 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025— दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाए।

(16.4) निर्माण कार्यों के निष्पादन में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन की सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अनियमित भुगतान करना:—

सी. पी. डलल्यू डी. कोड 2014 के पैरा 24.1.2.(ए) के प्रावधानों के अनुसार अन्तिम बिल के भुगतान से पूर्व किसी भी निर्माण कार्य की निष्पादित मात्रा/राशि में आये कम/अधिक विचलन (Deviation) को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाये जाने के पश्चात ही उस बिल भुगतान किया जाना अपेक्षित है। परन्तु नगर परिषद् सरकाघाट द्वारा अवधि 04/2023 से 03/2024 के बीच निष्पादित तथा भुगतान किये गये निर्माण कार्य बिलों की अंकेक्षण जाँच में पाया गया था कि संलग्न **परिशिष्ट "31"** पर संकलित 16 प्रकरणों में निष्पादित निर्माण कार्य की कुल मात्रा व राशि अवार्ड की तुलना में अधिक अथवा कम होने पर भी इनके अन्तिम बिलों का भुगतान करने से पूर्व विचलन को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित नहीं किया गया था। यह बहुत ही खेदजनक है कि इस सन्दर्भ में पिछले कई अंकेक्षण प्रतिवेदनों में आपत्ति दर्ज करने के बाद भी नगर परिषद् द्वारा अपनी कार्यप्रणाली में कोई सुधार नहीं किया गया है। अतः एक बार पुनः यह मामला प्राथमिकता

के आधार पर सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाये जाने तथा भविष्य में कार्यप्रणाली में सुधार हेतु उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ लाया जाता है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-82 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाए।

(16.5) श्रम उपकर की ₹0.51 लाख की कटौती राशि को श्रम विभाग में जमा न करने बारे।

नगर परिषद् के अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत निर्माण कार्य वाउचरों तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जाँच पर पाया गया कि परिशिष्ट "32" पर संलग्न तालिका अनुसार वर्ष 2023-24 में 11 बिलों से श्रम उपकर की मद में ₹50562/- की राशि की कटौती की गई थी। परन्तु वर्तमान अंकेक्षण किये जाने तक इस राशि को हिमाचल प्रदेश श्रम विभाग को जमा नहीं करवाया गया था। वसूली करके इस राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में श्रम विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व नगर परिषद् का नहीं होगा अपितु इसकी पूर्ण जिम्मेवारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की निजि होगी। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-82 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को तदनुसार अवगत करवाया जाए।

(16.6) निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹23082/- की राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना

अंकेक्षणावधि के दौरान निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख की अंकेक्षण जांच में पाया गया कि परिशिष्ट "33" में दिये विवरणानुसार अवधि 04/2023 से 03/2024 के बीच संविदाकारों से निर्माण कार्यों में उपयोग की गई खनिज सामग्री की मात्रा पर Himachal Pradesh Minor Minerals (Concession) and Minerals (Prevention of illegal mining Transport

and Storage) Rules 2015 नियम के नियम 4 (1), 18(1) व 19 (1) (9) के प्रावधानों के अनुसार वसूल की गई रॉयल्टी की ₹23,082/- की राशि की वसूली करके राशि खनन विभाग के पास जमा करवाने के स्थान पर अनियमित रूप से परिषद् निधि में ही जमा रखी गई है। रॉयल्टी की वसूली करके राशि सरकारी कोष में जमा न करवाने के कारण सरकार को राजस्व की हानि हुई है तथा इस चूक के कारण इस बात की पूरी सम्भावना है कि निकट भविष्य में खनन विभाग इस राशि की वसूली हेतु न केवल मूल राशि परन्तु इसके ऊपर ब्याज व दण्ड राशि के लिये भी माँग कर सकता है। ऐसी स्थिति में ब्याज व दण्ड राशि के भुगतान का दायित्व परिषद् का नहीं होगा। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-82 दिनांक: 25/03/2025 द्वारा सूचित करने पर प्रत्युत्तर में कार्यकारी अधिकारी द्वारा पत्र संख्या: न. परि./सरका./2025- दिनांक 28.03.2025 द्वारा शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया है। अतः प्राथमिकता के आधार पर इस राशि को सरकारी कोष में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त यह सुझाव दिया जाता है कि निर्माण कार्यों हेतु लाई गई शुद्ध सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर, ईंटों इत्यादि) के सन्दर्भ में आवश्यक रूप से फार्म एम अथवा फार्म डब्ल्यू/एक्स प्राप्त किए जाने सुनिश्चित किए जाए अन्यथा हि0प्र0 माननीय उच्च न्यायालय के मामला संख्या CWP-2395/2020 के निर्देशों/आदेशों अनुसार भुगतान न किया जाए वस्तुतः भुगतान फार्म X या W जैसा कि हि0प्र0 खनिज नियम 2015 में दिए प्रावधानों अनुसार आवश्यक है प्राप्त करने के बाद ही किया जाए।

(16.7) मापन पुस्तिकाएँ अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे।

नगर परिषद् के अवधि 04/23 से 04/24 तक के लेखों के व्यय हेतु चयनित माह 02/2024 में निष्पादित निर्माण कार्यों की अंकेक्षण जाँच हेतु निम्न तालिका में वर्णित निर्माण कार्यों की मापन पुस्तिकाएँ वाँछित थीं जोकि प्रस्तुत नहीं की गई। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-88 दिनांक: 27/03/2025 द्वारा कार्यकारी अधिकारी को अवगत करवाया गया था परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। अतः इस अनियमितता के बारे में तथ्यात्मक उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त इस अभिलेख को अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

S. no	V NO. Date	Name of work	Name of Contractor	Estimated cost	Awarded amount	Gross Amount	MB Pg
1	21[9/2/2024]	C/O Footpath near Shri Hanuman Mandir ward no. 5 kunalag MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Kashmir Singh	494203	472724	189277	25441/27-28
2	20[9/2/2024]	C/O Foothpath from toward kylu mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Suresh Kumar GC	232787	215537	168425	20436/76

17. स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन

कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण अध्याचना संख्या: सहा. नियन्त्रक/रा.ले.प.-शिमला/अंके. अधि./2025/-23 दिनांक: 01/02/2025 के सन्दर्भ में उपलब्ध करवाई गई सूचना तथा अभिलेख की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षणाधीन अवधि में नगर परिषद द्वारा स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामान की भौतिक सत्यापना (Physical Verification) नहीं की गई है। जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009 के नियम 140 के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष स्टॉक में शेष सामान की भौतिक सत्यापना करवाई जानी आवश्यक है। इस सन्दर्भ में पिछले कई वर्षों से अंकेक्षण द्वारा प्रत्येक प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई है परन्तु नगर परिषद् द्वारा अभी तक अनुपालना हेतु कोई भी प्रयास नहीं किया है। अतः इसके बारे में वस्तुस्थिति तथ्यों सहित स्पष्ट करके कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाते हुये अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

18. लघु आपत्ति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई थी तथा सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था।
19. निष्कर्ष:- गत अनुच्छेदों में वर्णित अनियमितताओं से स्पष्ट है कि नगर परिषद के लेखों के अनुरक्षण में अभी भी सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।


(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.

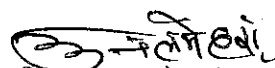
दूरभाष 0177-2626670

21 JUN 2025

3963-3965

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0) एच (2)सी-15(V)75/81 खण्ड-5 दिनांक: शिमला-171009,
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निदेशक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेश शिमला-171002 को पैरा संख्या: 1 (ग) में वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
- 2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी, स्थानीय निधि लेखा समिति, हि0प्र0 विधान सभा, शिमला-04 (हि0प्र0) को सूचनार्थ प्रेषित है।
- पंजीकृत : 3 कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सरकाघाट, तहसील सरकाघाट, जिला मण्डी (हिमाचल प्रदेश) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाई गई आपत्तियों का सटिप्पण उत्तर प्रतिवेदन जारी होने से एक माह के भीतर इस विभाग को प्रेषित करें।


(अनिल कुमार मेहरा)

उप निदेशक,

हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला-171009.

दूरभाष 0177-2626670

परिशिष्ट "1"

पैरा 1 (घ) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों का विवरण

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/85

क्रम	पैरा संख्या	स्थिति	आपत्ति का संक्षिप्त विवरण	कृत अनुपालना का विवरण
1	पैरा-9 (4) (ए)	अनिर्णीत	कम जमा करवाई गई आय (Meat Passing Fees) की ₹1066 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।	

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/86 से 3/88

1	पैरा-7 (v)	अनिर्णीत	रोकड़ बही में अधिक बुक किये गये ₹1788 की राशि की न तो अभी तक वसूली की गई और न ही इसके औचित्य को स्पष्ट करने वाला कोई अभिलेख उपलब्ध करवाया गया है।	
---	---------------	----------	---	--

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 03/90

1	पैरा-7 (ज)	अनिर्णीत	प्रधान अधिसूचित क्षेत्र समिति सरकाघाट श्री जे. के. शर्मा एस. डी. एम. से यात्रा भत्ता के अधिक भुगतान के ₹1200 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।	
2	पैरा-12 (ख)	अनिर्णीत	श्री जयपाल स्वीपर से ₹6195 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।	

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/90 से 03/93

1	पैरा-12 (ख) (3)	अनिर्णीत	मस्ट्रोल में अधिक भुगतान किये गये ₹1164 की वसूली अभी तक नहीं की गई है।	
---	--------------------	----------	--	--

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/93 से 3/96

1	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत	दिनांक 31.01.1995 को वसूली हेतु शेष ₹63480 की	
---	---------------	----------	---	--

			तहबाजारी की वसूली नहीं की गई है।	
2	पैरा-14 (iv)	अनिर्णीत	वीडियो पार्लर मलिकों से अभी तक ₹6750 के मनोरंजन कर की वसूली नहीं की गई है।	

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/07 से 03/12

1	पैरा-7 (क)	अनिर्णीत	बैंक सावधि निवेशों पर कम प्राप्त ₹11772 के ब्याज की वसूली नहीं की गई है।	
2	पैरा-10 (क)	अनिर्णीत	बजट प्रावधान से अधिक किये गये व्यय के नियमतीकरण बारे।	
3	पैरा-11 (क)	अनिर्णीत	मोबाइल भता का ₹12800 का अनियमित व अधिक भुगतान।	
4	पैरा-11 (झ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिलों से कटौती नहीं किये गये आयकर व बिक्रीकर की ₹22131 की वसूली नहीं की गई।	
5	पैरा-11 (ज)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिलों में अधिक भुगतान की गई ₹74485 की वसूली बारे।	
6	पैरा-11 (ठ) (ii)	अंशतः निर्णीत	रैहन बसेरा का निर्माण निक्षेप कार्य के रूप में करवाये जाने हेतु हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग सरकाघाट मण्डल को जारी कुल ₹5,00,000 के अग्रिम में से ₹50,000 की राशि बैंक संख्या 128417 दिनांक 21.01.2013 तथा ₹2,00,000 राशि RTGS के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक खाता संख्या 65111946380 में दिनांक 25.07.2014 को जमा किये जाने की पुष्टि कर ली गई। शेष ₹2,50,000 की वसूली अभी भी शेष है।	
7	पैरा-14 (ड)	अनिर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक से रजिस्टर से 26 बैग दो बार खारिज करने	

			की 10400/— की वसूली नहीं की गई है।	
--	--	--	------------------------------------	--

(छ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2012 से 3/2014

1	पैरा-8 (क)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल से संविदा में दी गई 3% की छूट को बिल में से न काटकर श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹63714 का अधिक भुगतान।	
2	पैरा-8 (ग)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में कंक्रीट मद के निष्पादन में श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹28457 का अधिक भुगतान।	
3	पैरा-8 (घ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में वीप होल की मात्रा की कटौती न करके श्री रमेश कुमार संविदाकार को ₹4058 का अधिक भुगतान।	
4	पैरा-9 (क)	अनिर्णीत	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग द्वारा सड़क में की गई तोड़फोड़ से हुई ₹23,08,696 की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु कोई कार्रवाई नहीं करना।	
5	पैरा-9 (ख)	अनिर्णीत	₹19,41,078 के विचलन के नियमतीकरण हेतु कोई कार्रवाई नहीं करना।	
6	पैरा-9 (ग)	अनिर्णीत	संविदाकार को ₹48146 के अनियमित भुगतान के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करना।	
7	पैरा-10 (क) (ख)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में गलत गणना के कारण संजय ठाकुर संविदाकार को हुये अधिक भुगतान की गई ₹15909 की राशि की वसूली शेष।	
8	पैरा-11	अनिर्णीत	विभागीय औचित्य दर से अधिक दर पर निर्माण कार्य निष्पादित करवाकर हुये अधिक भुगतान की गई ₹95554 की राशि की वसूली शेष।	

9	पैरा-12 (क) (i से iii)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिलों में संविदाकारों को हुये अधिक भुगतान की गई ₹185383 की राशि की वसूली शेष।	
10	पैरा-13	अनिर्णीत	मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹13,40,103 की राशि के सम्भावित दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं करना।	

(ज) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2014 से 3/2016

1	पैरा-5	अनिर्णीत	बैंक सावधि निवेशों पर कम प्राप्त ₹15583 के ब्याज की वसूली शेष।	
2	पैरा-8 (क) से (घ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में श्री रणजीत सिंह संविदाकार से 579 बोरी सीमेन्ट की वसूली न करके किये गये ₹133170 अधिक भुगतान की वसूली शेष।	
3	पैरा-9 (क) से (घ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में श्री संजय कुमार राणा संविदाकार को किये गये ₹25474 के अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
4	पैरा-10 (क) से (ग)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
5	पैरा-11 (क) से (घ)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में श्री सुशील कुमार संविदाकार को किये गये ₹17494 (14994+2500) के अधिक भुगतान तथा अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
6	पैरा-12 (क) से (ख)	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	

7	पैरा-13	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिल में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
8	पैरा-14	अनिर्णीत	सीमेन्ट स्टॉक में पाई गई अनियमितताओं के सम्बन्ध कोई कार्रवाई शेष।	
9	पैरा-16	अनिर्णीत	मलिन बस्ती में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को गृह निर्माण हेतु प्रदान ₹17,74,431 की राशि के सम्भावित दुरुपयोग के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई शेष।	

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/18 से 3/20

1	पैरा-17 (क)	निर्णीत	श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद मण्डी को निजी वाहन से यात्रा करने पर ₹4800 के अनियमित भुगतान की वसूली शेष।	रसीद संख्या 6821 दिनांक 21.12.2024 द्वारा इस राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
2	पैरा-17 (ख)	निर्णीत	श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर परिषद मण्डी को प्रवास के दौरान ₹296 के अधिक भुगतान की वसूली शेष।	रसीद संख्या 6821 दिनांक 21.12.2024 द्वारा इस राशि की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/20 से 3/22

1	पैरा-6	अनिर्णीत	बैंक द्वारा गलत ब्याज गणना के कारण सावधिक जमा की परिपक्वता पर ₹0.15 लाख का कम भुगतान करना	
2	पैरा-13 (घ)	निर्णीत	नये भवनों के गृहकर का निर्धारण न करने के कारण परिषद को राजस्व हानि	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
3	पैरा-18.1	निर्णीत	श्री सतपाल सिंह, सफाईकर्मी के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान	कुल वसूली राशि का अद्यतन करके 04/2023 से 03/2024 के पतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
4	पैरा-18.2	निर्णीत	श्री पवन कुमार, सेवादार के गलत वेतन निर्धारण के कारण वेतन व भत्तों का ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान	कुल वसूली राशि का अद्यतन करके 04/2023 से 03/2024 के पतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा-18.3	निर्णीत	श्रीमति प्रेमलता, लिपिक के गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 09.12.2018 से 31.12.2021 तक	रसीद संख्या 4246 ₹10000 + 4687 ₹10000 + 8131 ₹8000

			वेतन व भत्तों का ₹0.36 लाख का अधिक भुगतान	+ 8199 ₹8444 कुल ₹36444/- की वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
6	पैरा-18.4	अनिर्णीत	श्री सोनू सफाई कर्मचारी के गलत वेतन निर्धारण के कारण दिनांक 01.12.2018 से 31.12.2021 तक वेतन व भत्तों का ₹0.26 लाख का अधिक भुगतान	
7	पैरा-18.5	निर्णीत	श्री रसील चन्द, सफाईकर्मी को "सुनिश्चित आजीविका प्रगति योजना" में 9 वर्ष के सेवाकाल पर अनियमित लाभ जारी करके वेतन व भत्तों का ₹1.50 लाख का अधिक भुगतान	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के बिल से वाण्चर संख्या 2 दिनांक 01.10.2024 द्वारा वसूली का समायोजन किये जाने की पुष्टि कर ली गई।
8	पैरा-18.6	अनिर्णीत	श्रीमती अरुणा शर्मा, सामुदायिक समन्यवयक के 01.01.2020 से अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹1.05 लाख के अधिक भुगतान	
9	पैरा-18.7	निर्णीत	श्रीमती बर्फी देवी, सफाईकर्मी के वेतन निर्धारण में अनियमितताएँ	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
10	पैरा-21	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी से स्वीकृत न करवाकर किया गया अनियमित भुगतान	
11	पैरा-22	अनिर्णीत	नगर परिषद् के बिजली बिलों के भुगतान में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई "गत बकाया राशि" (Previous Arrears) के लिये ₹0.82 लाख का भुगतान करना	
12	पैरा-23	निर्णीत	नगर परिषद् के बिजली बिलों में प्रत्येक माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग की गई लाइन मरम्मत शुल्क (Line Maintenance Charges) राशि	हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्ट्रीट लाइटों के लिये लाइन मरम्मत शुल्क सरकार द्वारा प्रावधित नियमों तथा दरों के आधार पर वसूल किये जाने का

			के लिये ₹0.26 लाख का भुगतान करना	सत्यापन वर्ष 2023-24 के दरों के शैड्यूल से कर लिया गया।
13	पैरा-24	निर्णीत	प्रवास में व्यक्तिगत निजी कार का अनाधिकृत प्रयोग करना।	निदेशक शहरी विकास द्वारा जारी कार्यालय आदेश के आधार पर निर्णीत।

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/22 से 3/23

1	पैरा- 1 व 2	समाप्त	मात्र सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
2	पैरा-3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क।	स्वतः निर्णीत।
3	पैरा-4	निर्णीत	वित्तीय विवरणियाँ	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
4	पैरा-5.1.1	निर्णीत	वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
5	पैरा-5.1.2	निर्णीत	बैंक निवेश तथा बचत खातों की विवरणी।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
6	पैरा-5.1.3	निर्णीत	बैंक समाधान विवरणी।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
7	पैरा-5.2.1	निर्णीत	पैन्शन व ग्रैच्युटी निधि की वित्तीय स्थिति।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
8	पैरा-5.2.2	निर्णीत	पैन्शन व ग्रैच्युटी निधि की बैंक समाधान विवरणी।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
9	पैरा-6.1	निर्णीत	अनुदानों की वित्तीय स्थिति	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
10	पैरा-6.2	निर्णीत	अनुदानों की ₹785.30 लाख उपयोग हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
11	पैरा-6.3	निर्णीत	दिनांक 1.4.2022 से पूर्व प्राप्त ₹585.57 लाख के अनुदानों का कई वर्ष से अधिक अवधि के उपरान्त भी उपयोग करने में विफलता	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
12	पैरा-7.1	निर्णीत	सावधि निवेश का विवरण।	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
13	पैरा-7.2	निर्णीत	कुशल वित्तीय प्रबन्धन के अभाव में अतिरिक्त निधि को सावधि जमा योजना में निवेश करने की	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।

			अपेक्षा बचत खाते में जमा रखने के कारण ब्याज आय की हानि	
14	पैरा-8	निर्णीत	नगर परिषद् के वर्ष 2022-23 के बजट के सन्दर्भ में अंकेक्षण टिप्पणियाँ	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
15	पैरा-9	निर्णीत	नगर परिषद की गत तीन वर्षों की आय व व्यय का विवरण	मात्र सूचनार्थ।
16	पैरा-10.1.1	निर्णीत	गृहकर बकाया ₹63.03 लाख वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
17	पैरा-10.1.2	निर्णीत	25 वर्षों से लम्बित ₹24.33 लाख के गृहकर की वसूली हेतु नियमानुसार कोई ठोस कार्रवाई न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
18	पैरा-10.1.3	निर्णीत	गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर में देय गृहकर बकाया राशि को एक वित्त वर्ष से दूसरे में उठाते (Carry Over) समय ₹0.11 लाख से कम दर्शाना	स्वतः निर्णीत।
19	पैरा-10.1.4	निर्णीत	वर्ष 2022-23 के लिये गृहकर माँग दर्ज करने के पश्चात गलत योग के कारण अन्तशेष राशि को ₹0.65 लाख से कम दर्शाना	स्वतः निर्णीत।
20	पैरा-10.1.5	निर्णीत	नगर परिषद क्षेत्र के अन्दर स्थित होटलों तथा गैस्ट हाउसों से नियमानुसार गृहकर की वसूली न करना	कृत अनुपालना का सत्यापन कर लिया गया।
21	पैरा-10.2.1	निर्णीत	दुकानों के बकाया किराये की ₹26.33 लाख की राशि वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
22	पैरा-10.2.2	निर्णीत	27 वर्षों से लम्बित ₹21.47 लाख के दुकानों के किराये की वसूली हेतु ठोस कार्रवाई न करना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
23	पैरा-10.2.3	अनिर्णीत	दुकान किराये के साथ वसूल किये गये वस्तु व सेवा कर की ₹2.55 लाख की राशि को सम्बन्धित विभाग के पास जमा न करवाना	
24	पैरा-10.3	निर्णीत	मोबाईल टावर स्थापना व नवीनीकरण शुल्क की ₹5.01 लाख की राशि वसूली हेतु शेष	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।

25	पैरा-10.4	अनिर्णीत	सफाई शुल्क की ₹1.50 लाख की राशि वसूली हेतु शेष	
26	पैरा-10.5	निर्णीत	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹0.16 लाख की कम वसूली करना	₹14710/- की वसूली का सत्यापन रसीदों से करने के पश्चात शेष ₹1785/- की राशि की वसूली नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
27	पैरा-11.1	निर्णीत	श्रीमती सन्तोष कुमारी, सफाईकर्मी के 01.01.2023 से अनियमित वेतन निर्धारण के कारण ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान	रसीद संख्या 5136 दिनांक 3.7.2023 द्वारा वसूली का सत्यापन कर लिया गया।
28	पैरा-12.1	निर्णीत	नगर परिषद् द्वारा निक्षेप कार्य हेतु दिनांक 31.03.2023 तक जारी ₹303.57 लाख के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन हेतु शेष पाया जाना	नवीनतम स्थिति के साथ वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
29	पैरा-13	निर्णीत	नगर परिषद् कर्मचारियों के सन्दर्भ में पेंशन व गैरच्युटि, सामान्य भविष्य निधि तथा अंशदायी पेंशन निधि की रोकड़ बही व लैजर खातों का अनुरक्षण न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
30	पैरा-14.1	निर्णीत	बिजली बिलों में प्रत्येक माह हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा माँग किये गये लाइन मरम्मत शुल्क (Line Maintenance Charges) राशि के लिये ₹0.06 लाख का भुगतान करना	हि0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा स्ट्रीट लाइटों के लिये लाइन मरम्मत शुल्क सरकार द्वारा प्रावधित नियमों तथा दरों के आधार पर वसूल किये जाने का सत्यापन वर्ष 2023-24 के दरों के शैड्यूल से कर लिया गया।
31	पैरा-14.2	अनिर्णीत	व्यय वाउचरों में ₹1343/- की राशि का अधिक भुगतान करना	
32	पैरा-15.1	अनिर्णीत	कार्य निष्पादन में देरी होने पर भी संविदाकारों से अनुबन्ध की क्लॉज 2(2) के अनुसार ₹0.97 लाख की क्षतिपूर्ति राशि की कटौती न करना	
33	पैरा-15.2	अनिर्णीत	निर्माण कार्य बिलों से काटी गई रॉयल्टी की ₹1.63 लाख की	

			राशि को खनन विभाग के पास जमा न करवाना	
34	पैरा-15.3	अनिर्णीत	संविदाकारों से निर्माण कार्य बिलों से काटी गई श्रम उपकर (Labour Cess) की ₹2.28 लाख की राशि को श्रम अधिकारी मण्डी के पास जमा न करवाना	
35	पैरा-15.4	अनिर्णीत	निर्माण कार्यों के निष्पादन में नियमों में प्रावधित मात्रा से अधिक विचलन को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया अनियमित भुगतान	
36	पैरा-16	अनिर्णीत	परिषद् के ट्रक पंजीकरण संख्या HP - 28 - 5082 द्वारा ईंधन खपत में पाई गई अनियमितताएं	
37	पैरा-17	निर्णीत	स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
38	पैरा-18	निर्णीत	दोहरी लेखा पद्धति (Double Entry System for Accounting) को लागू न करना	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
39	पैरा-19	निर्णीत	नगर परिषद् के तुलन पत्र पर अँकेक्षण टिप्पणियाँ।	वर्तमान अँकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित।
40	पैरा-22 व 21	निर्णीत	मात्र सूचनार्थ।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।

अनिर्णीत अनुच्छेदों/उप-अनुच्छेदों का सार

अवधि 03/2023 तक अनिर्णीत पैरे/उप पैरे
 4/23 से 3/24 के दौरान लगाए गए पैर (+)
 कुल
 अँकेक्षण के दौरान निर्णीत पैरे (-)
 शेष

86
 15
 101
 41
 60

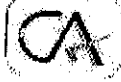
**Yearwise detail of the previous settled/unsettled Audit Paras and sub paras in r/o
Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, HP**

Sr	Audit Period	Total paras unsettled as on 01-04-2023	Number of paras settled during current Audit	Number of paras still unsettled as on 31-03-2024
1	04/1984 to 03/1985	1	0	1
2	04/1986 to 03/1988	1	0	1
3	04/1989 to 03/1990	2	0	2
4	04/1990 to 03/1993	1	0	1
5	04/1993 to 03/1996	2	0	2
6	04/2007 to 03/2012	7	0	7
7	04/2012 to 03/2014	10	0	10
8	04/2014 to 03/2016	9	0	9
9	04/2018 to 03/2020	2	2	0
10	04/2020 to 03/2022	13	8	5
11	04/2022 to 03/2023	38	30	8
	Total	86	40	46

2

अनुच्छेद "6" के अन्वयित

परिशिष्ट "2"



P SONI & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANT

AUDIT REPORT

The Incharge
Municipal Council- Sarkaghat,
Distt. Bilaspur (H.P.)

We have examined the Receipts & Disbursement Account, Income & Expenditure and Balance Sheet of Municipal Council- Sarkaghat, Distt - Mandi (HP) as on 30-09-2024 on the Basis of our Examination we report that :-

1. Our Audit was conducted in accordance with generally accepted principles of auditing and included test check of accounting records and such other procedure as were considered necessary under circumstances, but in that audit, we are make Receipts & Disbursement Account, Income & Expenditure and Balance Sheet of Municipal Council- Sarkaghat, Distt - Mandi (HP) on recorded which is produced to us and in that recorded we are not checked any By Law and rule of MCD because authorized person demanded and ordered only compiled financial statement and compiled the data in the form Receipts & Disbursement Account, because other audit is done by local audit team which is appointed by State Govt and that audit checked all regulations and upregulations so him stated only compiled data. we are Qualified this Report.
2. Our responsibility was limited to the extent of carrying the audit in accordance with generally accepted auditing principles. Municipal Council- Sarkaghat is responsible for preparation of records and financial statements. We are compiled data only other rules and regulation is check by govt auditor.
3. On the basis of Audit we report that we relied on information, records and explanations as made available before us.
4. Subject to para 3 above
 - a. Income & Expenditure account made on the bases of Cash Book maintained By Municipal Council- Sarkaghat and in my knowledge it gives true and fair view of the income & expenditure of the agency for the year ending 31st march 2024, and
 - b. Receipts & payment account made on the bases of Cash Book maintained By Municipal Council- Ghumarwin and in my knowledge it gives true and fair view of the Receipts Disbursement of funds during the period on the above said date.

Place: Bilaspur
Date: 30-09-2024
UDIN 24522734BKAMSZ8815

For P Soni & Associates
Chartered Accountants

(Pankaj Soni)
Pro.
M.NO. 522734

SHOP NO - 15, MARKET COMPLEX, OPP.- BUS STAND - BILASPUR (H.P.)
CELL NO - 9816063053, 9218560053-

Examination Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

E-MAIL- psoniassociates@gmail.com

**MUNICIPAL COUNCIL- SARKAGHAT
SARKAGHAT, DISTT.- MANDI (H.P.)
BALANCE SHEET AS AT 31 MARCH 2024**

Code of Accounts	Description of Items	Schedule No.	Current Year Amount (₹)
	LIABILITIES		
3-10	Reserve & Surplus		
3-11	Municipal General Fund	B-1	
3-12	Earmarked Funds	B-2	130,505,352.26
	Reserves	B-3	0.00
	Total Reserves & Surplus		0.00
3-20	Grants, Contributions for Specific Purposes		130,505,352.26
3-30	Loans	B-4	0.00
3-31	Secured Loans	B-5	0.00
	Un-secured Loans	B-6	0.00
	Total Loans		0.00
3-40	Current liabilities & Provisions		0.00
3-41	Deposits Received		0.00
3-42	Deposits Works	B-7	0.00
3-43	Other Liabilities	B-8	0.00
	Provisions	B-9	0.00
	Total Current liabilities & Provisions	B-10	0.00
	TOTAL LIABILITIES		0.00
			130,505,352.26
	ASSETS		
4-10	Fixed Assets		
4-11	Fixed Assets	B-11	518,831.00
4-12	Less: Depreciation		51,883.00
	Net Block		466,948.00
4-12	Capital Work-in-Progress		0.00
	Total Fixed Assets		466,948.00
4-20	Investments		
4-24	Investments - General Fund	B-12	0.00
	Investments - Other Fund	B-13	0.00
4-30	Current Assets, Loans and Advances		0.00
4-31	Stock in Hand (Inventories)	B-14	0.00
	Sundry Debtors (Receivables)	B-15	0.00
	Gross amount outstanding		0.00
	Less: Accumulated provision against bad and doubtful sundry debtors		0.00
4-40	Net Amount Outstanding		0.00
4-50	Prepaid Expenses	B-16	0.00
4-60	Cash and Bank Balances	B-17	0.00
4-61	Loans, Advances and Deposits	B-18	130,038,404.26
	Less: Accumulated provision against Loans		0.00
	Net Amount Outstanding		0.00
	Total Current Assets, Loans and Advances		0.00
4-70	Other Assets		0.00
4-80	Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off)	B-19	130,038,404.26
	Total Other Assets	B-20	0.00
	TOTAL ASSETS		0.00
			130,505,352.26

Auditor's Report : " As per our separate report of even dated."

Place : Bilaspur

Date : 30-09-2024

UDIN24522734BKAMSZ8815

**For P Soni & Associates
Chartered Accountants**

Executive Officer
Municipal Council Nalagarh

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

(Pankaj Soni)
Pro.
M. No. 522734

MUNICIPAL COUNCIL- SARKAGHAT
SARKAGHAT, DISTT.- MANDI (H.P.)
RECEIPTS & DISBURSEMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2024

RECEIPTS

	AMOUNT (RS)
To Op. Balance as on 1-4-2022	
Cash in Hand	
Cash at Bank:	
Other Bank	
UCO Bank 12550110043363	
HDFC 50100061637214	
HDFC 50100263392310	2,193,143.00
HDFC 50100265836786	477,367.31
HDFC 50100036825477	13,068,853.30
HDFC 50100166371777	13,721,095.00
HPSC 32310107754	18,185,023.30
HPSC 32310101493	720,576.00
HPSC 32310102163	3,965,809.00
HPSC 323101027866	304,851.00
SBI 65111946380	1,788,747.00
SBI 38862338312	3,015,935.50
CANRA BANK 5069101000167	8,415.00
CANRA BANK 110046594194	5,102,391.00
HP GRAMIN 87270100097658	12,002.00
PNB BANK 6017000100030729	7,462,281.00
PNB BANK 0867000100069300	5,292,142.60
ICICI BANK 442401000045	1,073,097.45
INDIAN BANK 76718 PMS	1,993,042.80
FDR	30,000.00
	43,129,587.00

To GIA in Aids Received

State Finance Commission Grant	11052792.00
14th & 15 th Finance Commission Grant	11,266,140.00
Swachh Bharat Mission	1236002.00
ULB Roads	100832.00
MPLAD/DC/SDM,	964,545.00
PMAY	2,000,000.00
Sisaster Management Grant	1,337,062.00
Tender Form Cost	72,300.00
MMSGAY	443,450.00
Incomes:	
Taxes/Fees Imposed and Its Collection during	
Income from Shop/Stalls	330332.00
House/ Property Tax	911785.00
Tehbazari	270830.00
Sanitation Tax	793770.00
Birth & Death Registration	7010.00
Marriage Fees	940.00
Building Plan/Map Approval Fee	22216.00
Parking	494610.00
Family register Nakal/ RTI Fees	7,560.00
RTI fees	992.00
Advertisement Tax	5,600.00
Electricity Fees	37125.00
Slaughter House Fees	6050.00
Misc. Income	147068.00

Income from Interest

4,226,869.00

4,226,869.00

TOTAL

157,279,939.26

Auditor's Report : " As per our separate report of even dated."

350.00

157,279,939.26

0.00

Place : Billopur
 Date : 30-09-2024
 UDIN 24522734PKAMSZ8815

Executive Officer
 Municipal Council, Sarkaghat
 Distt. Mandi (H.P.)

53

DISBURSEMENTS

	AMOUNT (RS)
By Exp. Incurred on Scheme	
Exp Against Grant Receipts	
State Finance Commission Grant	1,305,765.00
14th & 15 th Finance Commission Grant	880,663.00
Swachh Bharat Mission	
Parking	
ULB Roads	1,070,451.00
IHSDP	718,361.00
MPLAD/DC/SDM	327,689.00
PMAY	1,835,000.00
Atal Shreshtha Yojana	400,000.00
Honorarium Elected Body	385,977.00
Refund Security	366,095.00
Telephone Bill	11,277.00
Gst Challan	149,422.00
Disaster Management Grant	
MMSGAY	431,580.00
NULM	4,000.00
SWM	
Exp Out of Own Income :-	
Establishment Expenses	3,229,937.00
Medical / TA	185,183.00
Legal Exp	
Office Exp	303,389.00
Vehicle Exp	
Municipal Works	742,485.00
Public Health	9,224,491.00
Municipal Works	1,514,186.00
Street Light	1,128,185.00
Water Bill	10,869.00
LIC	6,000.00
Miscellaneous Exp	23,910.00
By Closing Balance :	
Cash in Hand	
Cash at Bank:	
Other Bank	
UCO Bank 12550110043363	165,000.00
HDFC 50100061637214	773,383.00
HDFC 50100263392310	510,606.31
HDFC 976091	127,731.00
HDFC 50100036825477	14,086,109.00
HDFC 50100166371777	27,508,980.30
HPSC 32310107754	911,277.00
HPSC 32310101493	2,765,315.00
HPSC 32310102163	311,328.00
HPSC 323101027866	2,435,615.00
SBI 65111946380	13,536,221.80
SBI 38862338312	8,645.00
CANRA BANK 5069101000167	5,903,794.00
CANRA BANK 110046594194	462,654.00
HP GRAMIN 87270100097658	7,670,177.00
PNB BANK 6017000100030729	5,439,580.60
PNB BANK 0867000100069300	1,053,572.45
ICICI BANK 442401000045	1,296,168.80
INDIAN BANK 76718 PMS	26,000.00
FDR	45,045,896.00

16,368,635.00

For P Soni & Associates
 Chartered Accountants

(Pankaj Soni)
 Pro.
 M. No. 522734

MUNICIPAL COUNCIL- SARKAGHAT
SARKAGHAT, DISTT.- MANDI (H.P.)
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2024

Code of Accounts	Description of Items	Schedule No.	Current Year Amount (Rs.)
	INCOME		
1-10	Tax Revenue	I-1	
1-20	Assigned Revenues & Compensation	I-2	1,976,385.00
1-30	Rental Income from Municipal Properties	I-3	0.00
1-40	Fees & User Charges	I-4	330,332.00
1-50	Sale & Hire Charges	I-5	729,171.00
1-60	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-6	0.00
1-70	Income from Investments	I-7	28,472,823.00
1-71	Interest Earned	I-8	0.00
1-80	Other Income	I-9	4,226,869.00
A	TOTAL INCOME (A)		35,735,580.00
	EXPENDITURE		
2-10	Establishment Expenses	I-10	3,415,120.00
2-20	Administrative Expenses	I-11	344,168.00
2-30	Operations & Maintenance	I-12	12,609,347.00
2-40	Interest & Finance Charges	I-13	0.00
2-50	Programme Expenses	I-14	0.00
2-60	Revenue Grants, Contributions & Subsidies	I-15	10,872,900.00
2-70	Provisions & Write Off	I-16	0.00
2-71	Miscellaneous Expenses	I-17	0.00
2-72	Depreciation	I-18	51,883.00
B	TOTAL EXPENDITURE (B)		27,293,418.00
A-B	Gross Surplus(Deficit) of Income over expenditure before prior period items		8,442,162.00
2-80	Add: Prior period Items (Net)		0.00
	Gross Surplus(Deficit) of Income over expenditure after prior period items	I-19	8,442,162.00
2-90	Less: Transfer to Reserve Funds		0.00
	Net Balance of Surplus (Deficit) carried over to Municipal Fund		8,442,162.00

Auditor's Report : " As per our separate report of even dated."

Place : Bilaspur

Date : 30-09-2024

UDIN 24522734BKAMOG5684

For P Soni & Associates
Chartered Accountants

Executive Officer
Municipal Council Nalagarh

(Signature)
Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

59

(Pankaj Soni)
Pro.
M. No. 522734



अनुच्छेद 8.1 में सन्दर्भित

परिशिष्ट " 3 "

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Consolidated Financial Position for the year 2023-24

	Opening Balance	Income	Interest on Investments	Total (3+4)	Grand Total (2+5)	Expenditure	Closing Balance (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Own Sources	₹ 4,30,14,481	₹ 31,08,188	₹ 42,26,869	₹ 73,35,057	₹ 5,03,49,538	₹ 10,56,145	₹ 4,92,93,393
Grant In Aid	₹ 7,85,29,878	₹ 2,84,00,523	₹ 0	₹ 2,84,00,523	₹ 10,69,30,401	₹ 2,61,85,390	₹ 8,07,45,011
Total	₹ 12,15,44,359	₹ 3,15,08,711	₹ 42,26,869	₹ 3,57,35,580	₹ 15,72,79,939	₹ 2,72,41,535	₹ 13,00,38,404


Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of Funds available with MC in Bank and as Cash in Hand as on 31/03/2024

Savings Accounts Balances:-			
Bank	A/c Number	Balance	
1 HDFC BANK	50100061087214	773383	
2 HDFC BANK	92310	510606	
3 HDFC BANK	25477	14086109	
4 HDFC BANK (SNA Account for SBM)	976091	127731	
5 HDFC BANK	71777	27508980	
6 HP. STATE CO.op. Bank	7754	911277	
7 HP. STATE CO.op. Bank	1493	2765315	
8 HP. STATE CO.op. Bank	7866	2435615	
9 HP. STATE CO.op. Bank	2163	311328	
10 SBI Sarkaghat	6380	13536222	
11 SBI Sarkaghat	38312	8645	
12 Canara Bank	94194	462654	
13 Canara Bank	1000167	5903794	
14 HP Gramin Bank	97658	7670177	
15 Punjab National Bank	69300	1053572	
16 Punjab National Bank	30729	5439581	
17 ICICI BANK	45	1296169	
18 UCO BANK (SNA Account for PMAY)	43363	165000	
19 INDIAN BANK (SNA Account for NULM)	76718	26000	
20 Total balance on SB Acoounts as on 31-03-2024		₹ 8,49,92,158	
21 Balance of the long term Investments as on 31-03-2024 as per the statement		₹ 4,50,45,896	
22 Cash in Hand		₹ 0	
23 Grand Total for all funds available with MC as on 31-03-2024		₹ 13,00,38,054	

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2024

1	Balance as per Financial Position as on 31/03/2024	₹ 13,00,38,404
2	Less:- Tender form sale dated 1103-2024 CBP 95 (₹64300/-) in Drafts deposited in the bank but ₹350/- not cleared by bank till 31/03/2024	₹ 350
3	Rectified balance after above reduction	₹ 13,00,38,054
4	Balance of funds available in the banks as on 31-03-2024 as per list attached	₹ 13,00,38,054
5	Difference	₹ 0

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of Bank Term Deposit Investments as on 31-03-2024

Sr	Bank name	A/c No.	Amount invested	Date of investment	Rate of interest	Maturity Date	Maturity Amount	Date of Maturity	Maturity Amount receivable on encashment
1	HDFC BANK	7558	₹ 2,67,413	22-10-2023	6.60%	22-10-2024	₹ 2,85,514	22-10-2024	₹ 2,85,514
2	HDFC BANK	7608	₹ 3,55,565	03-08-2023	6.60%	03-08-2024	₹ 3,79,649	03-08-2024	₹ 3,79,649
3	HDFC BANK	201676	₹ 1,28,20,156	30-04-2023	6.60%	30-04-2024	₹ 1,36,89,095	30-04-2024	₹ 1,36,89,095
4	HDFC BANK	458520	₹ 1,31,35,639	01-05-2023	7.10%	02-08-2024	₹ 1,43,49,539	02-08-2024	₹ 1,43,49,539
5	HP STATE CO.OP BANK	303208	₹ 7,44,111	14-07-2023	7.10%	14-07-2024	₹ 7,98,366	14-07-2024	₹ 7,98,366
6	HP STATE CO.OP BANK	303340	₹ 43,79,315	07-11-2023	7.10%	07-11-2024	₹ 46,98,623	07-11-2024	₹ 46,98,623
7	HIMACHAL GRAMIN BANK	581029	₹ 38,954	15-05-2023	6.85%	15-05-2024	₹ 41,692	15-05-2024	₹ 41,692
8	CANARA BANK	30071	₹ 1,06,553	02-12-2023	6.85%	02-12-2024	₹ 1,14,042	02-12-2024	₹ 1,14,042
9	PNB	21000355	₹ 1,31,98,190	21-10-2023	6.75%	21-10-2024	₹ 1,41,11,878	21-10-2024	₹ 1,41,11,878
	Total as on 31-03-2024		₹ 4,50,45,896						

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Consolidated Financial Position of Pension & Gratuity Fund for the year 2023-24

Opening Balance	Receipt	Total including opening balance	Payments	Closing Balance
₹ 8,40,042	₹ 3,67,181	₹ 12,07,223	₹ 10,68,370	₹ 1,38,853




Executive Officer
Municipal Council Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 8(8) में सन्दर्भित

परिशिष्ट "7"

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Bank reconciliation Statement in r/o Pension & Gratuity Fund as on 31-03-2024

Sr.	Particulars	Balance
1	Balance as per HPSCB SB A/c No. 32310108984 as on 31-03-2024	₹ 1,38,853
2	Total Funds available as on 31-03-2024	₹ 1,38,853
3	Balance as per financial Position	₹ 1,38,853
4	Difference	₹ 0




Executive Officer,
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 809 में संदर्भित

परिशिष्ट "8"



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT, DISTRICT MANDI (H.P.)
Phone: (01905) 230620, Fax No. : (01905) 230620, EMAIL:-
mesarkaghat9@gmail.com

सं०: न० परि०/सरका०/ 2025-
सेवा में,

दिनांक :सरकाघाट

2025

सहायक नियंत्रक(लेखा परीक्षा)
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,

विषय:- पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित सूचना अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत करने बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या सहा० नियंत्रक /राज्य लेखा परीक्षा विभाग -शिमला/ अंके/2025/-68 दिनांक: 22/03/2023 के संदर्भ में निवेदन है कि कर्मचारियों के कार्यकारी अधिकारी के नाम से पेंशन व ग्रेच्युटी निधि से सम्बन्धित सूचना निम्नलिखित है ।

1	पेंशन व ग्रेच्युटी निधि का दिनांक 31-03-2024	कुल राशी
	A/C No. 32310108984	138853/-

2 कर्मचारियों के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा सामान्य भविष्य निधि का दिनांक 31-03-2024 को कुल शेष निम्न प्रारूप है

क्रम	कर्मचारी का नाम	बैंक	बैंक खाता संख्या	31-03-2024 को कुल शेष
1	श्री अछर सिंह	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310108982	211403/-
2	श्रीमती संतोष कुमारी	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310108980	459047/-
3	श्रीमती बर्फी देवी	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310108981	147426/-

3 कर्मचारियों के कार्यकारी अधिकारी के नाम से गिरवी व्यक्तिगत बचत बैंक खातों में जमा अंशदाई पेंशन निधि (नियोक्ता अंश सहित) का दिनांक 31-03-2024 को कुल शेष

क्रम	कर्मचारी का नाम	बैंक	बैंक खाता संख्या	31-03-2024 को कुल शेष
1	श्री दलेर सिंह राणा	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310112257	709584/-
2	श्रीमती प्रेम लता शर्मा	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310113952	1248443/-
3	श्रीमती अरुणा शर्मा	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310115836	613850.02
4	श्री विपुल कुमार	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310121683	139291/-
5	श्री पवन कुमार	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310115837	556647.07
6	श्री प्रकाश चन्द	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310119218	377672/-
7	श्री रसील चन्द	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310112245	712680/-
8	श्री सोनू	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310113972	742217/-
9	श्री सतपाल	हि०प्र०राज्य सहकारी बैंक	32310115890	754906.82

भवदीय,

Ex-officio Officer,
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

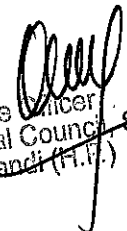
अनुच्छेद 91 में सन्दर्भित

परिशिष्ट " 9 "

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Consolidated Financial Position of Grants in Aid for the period 04/2023 to 03/2024

	OPENING BALANCE	RECEIPT	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2023-24	₹ 7,85,29,878	₹ 2,84,00,523	₹ 10,69,30,401	₹ 2,61,85,390	₹ 8,07,45,011


Executive Officer
Municipal Council Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Yearwise details of Grants in Aid received during the period 4/2023 to 3/2024

Sr	Head	Sanctioning Authority	Letter number and Date	Purpose	Opening Balance	Receipt during the year	Total (6+7)	Expenditure during the year	Closing Balance (8-9)	Year when this GIA was received	UC Letter no. & date (Ucs have been submitted by the MC online through E-mail without assigning any dispatch number)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	State Finance Commission Grants	Director UD	₹2784194/- online RTGS dtd 26-07-2023 + ₹8268598/- online RTGS dtd 31-07-2023	Maintenance of assets, performance of statutory and delegated functions, payment of honorarium to elected representatives.	₹ 49,45,791	₹ 1,10,52,792	₹ 1,59,98,583	₹ 1,56,12,035	₹ 3,86,548	2023-24	None
2	15th Finance Commission	Director UD	₹5627202 + ₹7663/- online RTGS dtd 29-04-2023 + ₹2252525/- vide letter no. UD-H(C)(10)-3/2020-II-4957/5018 dtd 13-03-2024 + ₹3378750/- online RTGS dtd 07-03-2024	For Water Management and Solid Waste Management	₹ 1,80,72,863	₹ 1,12,66,140	₹ 2,93,39,003	₹ 31,37,334	₹ 2,62,01,669	2022-23 & 2023-24	None
3	Swachh Bharat Mission	Director UD	₹1036002/- Online RTGS dtd 07-07-2023 + ₹200000/- Online RTGS dtd 27-10-2023	Sanitation in the city.	₹ 0	₹ 12,36,002	₹ 12,36,002	₹ 12,36,002	₹ 0	2023-24	Being PFMS A/c no UC is required
4	Parks/Parking	Director UD	***	Construction and maintenance of the municipal parks & Parkings	₹ 61,35,741	₹ 0	₹ 61,35,741	₹ 0	₹ 61,35,741	2020-21	None
5	ULB Roads	Director UD	₹100533/- Online RTGS dtd 03-10-2023	Maintenance of ULB roads.	₹ 8,71,998	₹ 1,00,532	₹ 9,72,530	₹ 9,72,530	₹ 0	2021-22 & 2023-24	None
6	IHSDP	Director UD	***	Providing financial assistance for contruction of house by BPL Families.	₹ 2,69,08,309	₹ 0	₹ 2,69,08,309	₹ 7,18,361	₹ 2,61,89,948	2014-15	None
7	MP/LAD/DC/SDM	DC Mandi	₹150000/- Online RTGS dtd 12-05-2023 + ₹150000/- Online RTGS dtd 06-06-2023 + ₹60000/- RTGS dtd 12-09-2023 + ₹604545/- RTGS dtd 06-02-2024	Repair of municipal assets damaged in natural disasters	₹ 2,31,941	₹ 9,64,545	₹ 11,96,486	₹ 4,25,610	₹ 7,70,876	2022-23 & 2023-24	None

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

62

8	Pradhan Mantri Awas Yojna	Director UD	₹500000/- PFMS transaction dtd 26-04-2023 + ₹800000/- PFMS transaction dtd 03-09-2023 + ₹700000/- PFMS transaction.	Providing financial assistance for construction of house by homeless people.	₹ 0	₹ 20,00,000	₹ 20,00,000	₹ 20,00,000	₹ 18,35,000	₹ 1,65,000	2023-24	Being PFMS A/c no UC is required
9	Atal Shreshtha Yojna	Director UD	***	To Sanitize the elected members and public about sanitation.	₹ 3,79,358	₹ 0	₹ 3,79,358	₹ 3,79,358	₹ 0	₹ 0	2019-20	None
10	Disaster Management Grant	Director UD	₹1337062/- Online RTGS dtd 11-03-2024	Construction and Repair of municipal assets damaged in natural disasters	₹ 2,50,000	₹ 13,37,062	₹ 15,87,062	₹ 0	₹ 0	₹ 15,87,062	2021-22 & 2023-24	None
11	MMSGAY	Director UD	₹216800/- RTG dtd 05-04-2023 + ₹226550/- RTGS dtd 01-11-2023	Providing assistance for livelihood to citizens of the town	₹ 0	₹ 4,43,450	₹ 4,43,450	₹ 4,31,550	₹ 11,900	₹ 0	2023-24	None
12	Special Grant	Director UD	***	Infrastructure development at the time of upgradation from NP to MC	₹ 90,87,635	₹ 0	₹ 90,87,635	₹ 0	₹ 90,87,635	₹ 0	2021-22	None
13	UIDSSMT (Sewrage)	Director UD	***	Construction & maintenance of Sewrage System in the city	₹ 91,91,309	₹ 0	₹ 91,91,309	₹ 0	₹ 91,91,309	₹ 0	2013-14	None
14	Nulm	Director UD	***	Providing assistance for livelihood to citizens of the town	₹ 30,000	₹ 0	₹ 30,000	₹ 4,000	₹ 26,000	₹ 0	2022-23	Being PFMS A/c no UC is required
15	SWM	Director UD	***	Special grant for construction of Solid Waste Processing facility.	₹ 24,24,933	₹ 0	₹ 24,24,933	₹ 14,33,610	₹ 9,91,323	₹ 0	2021-22 & 2022-23	None
Grand Total For the year 2022-23					₹ 7,85,29,878	₹ 2,84,00,523	₹ 10,69,30,401	₹ 2,61,85,390	₹ 8,07,45,011	₹ 0		

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandla (M.P.)

63

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Consolidated overview of Performance in utilization of Grants -in- Aid received prior to 01-04-2023 and during 04/2023 to 03/2024

Period	Grants In Aid	Utilization during 2023-24	Un-utilized Balance as on 31-03-2024
Received prior ro 04/2023	₹ 7,85,29,878	₹ 1,17,22,393	₹ 6,68,07,485
Received during 2023-24	₹ 2,84,00,523	₹ 1,44,62,997	₹ 1,39,37,526
Total		₹ 2,61,85,390	₹ 8,07,45,011


Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

64

73

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Performance of Grants in Aid on Year to Year Basis

Grants received before 04/2023 and utilized during 2023-24

Sr	Head	Opening Balance as on 01-04-2023	Utilization during 2023-24	Closing Balance as on 31-03-2024
1	State Finance Commission Grants	₹ 49,45,791	₹ 49,45,791	₹ 0
2	15th Finance Commission	₹ 1,80,72,863	₹ 31,37,334	₹ 1,49,35,529
3	Swachh Bharat Mission	₹ 0	₹ 0	₹ 0
4	Parks/Parking	₹ 61,35,741	₹ 0	₹ 61,35,741
5	ULB Roads	₹ 8,71,998	₹ 8,71,998	₹ 0
6	IHSDP	₹ 2,69,08,309	₹ 7,18,361	₹ 2,61,89,948
7	MPLAD/DC/SDM	₹ 2,31,941	₹ 2,31,941	₹ 0
8	Pradhan Mantri Awas Yojna	₹ 0	₹ 0	₹ 0
9	Atal Shreshtha Yojna	₹ 3,79,358	₹ 3,79,358	₹ 0
10	Disaster Management Grant	₹ 2,50,000	₹ 0	₹ 2,50,000
11	MMSGAY	₹ 0	₹ 0	₹ 0
12	Special Grant	₹ 90,87,635	₹ 0	₹ 90,87,635
13	UIDSSMT (Sewrage)	₹ 91,91,309	₹ 0	₹ 91,91,309
14	Nulm	₹ 30,000	₹ 4,000	₹ 26,000
15	SWM	₹ 24,24,933	₹ 14,33,610	₹ 9,91,323
	Total	₹ 7,85,29,878	₹ 1,17,22,393	₹ 6,68,07,485

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Grants received during 2023-24 and utilized during 2023-24

Sr	Head	Receipt during 2021-22	Utilization during 2023-24	Closing Balance as on 31-03-2024
1	State Finance Commission Grants	₹ 1,10,52,792	₹ 1,06,66,244	₹ 3,86,548
2	15th Finance Commission	₹ 1,12,66,140	₹ 0	₹ 1,12,66,140
3	Swachh Bharat Mission	₹ 12,36,002	₹ 12,36,002	₹ 0
4	Parks/Parking	₹ 0	₹ 0	₹ 0
5	ULB Roads	₹ 1,00,532	₹ 1,00,532	₹ 0
6	IHSDP	₹ 0	₹ 0	₹ 0
7	MPLAD/DC/SDM	₹ 9,64,545	₹ 1,93,669	₹ 7,70,876
8	Pradhan Mantri Awas Yojna	₹ 20,00,000	₹ 18,35,000	₹ 1,65,000
9	Atal Shreshtha Yojna	₹ 0	₹ 0	₹ 0
10	Disaster Management Grant	₹ 13,37,062	₹ 0	₹ 13,37,062
11	MMSGAY	₹ 4,43,450	₹ 4,31,550	₹ 11,900
12	Special Grant	₹ 0	₹ 0	₹ 0
13	UIDSSMT (Sewrage)	₹ 0	₹ 0	₹ 0
14	Nulm	₹ 0	₹ 0	₹ 0
15	SWM	₹ 0	₹ 0	₹ 0
	Total	₹ 2,84,00,523	₹ 1,44,62,997	₹ 1,39,37,526



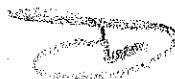
Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

73 65

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of Investments from Municipal Funds invested and maturity realized during the period 04/2023 to 03/2024

Bank and description	A/c Number	Period of Quarterly Compounding of interest	Amount reinvested after compounding of interest	Rate of Interest	Interest received on quarterly compounding	Total expected Value of FDR after compounding of interest
Punjab National Bank	1794302100336	21-10-2022 to 20-01-2023	₹ 1,29,30,740.00	5.70%	₹ 1,84,263	₹ 1,31,15,003
		21-01-2023 to 20-04-2023	₹ 1,31,15,003.00	5.70%	₹ 1,86,889	₹ 1,33,01,892
		21-04-2023 to 30-04-2023	₹ 1,33,01,892.00	5.70%	20773	₹ 1,33,22,665
Maturity amount received by Municipal Council on premature withdrawal on 01-05-2024						13135639
Short realization of the FDR Interest						₹ 1,87,026



Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

75 56

अनुच्छेद में सन्दर्भित

परिशिष्ट "....."

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of Investments from Municipal Funds invested and maturity realized during the period 04/2023 to 03/2024

S	Bank name	A/c No.	Amount invested	Date of investment	Rate of interest	Period of investment	Maturity Date	Date of Actual encashment	Maturity Amount recorded on certificate	Maturity Amount received on encashment	Difference / short realization of interest
1	HDFC Bank Sarkaghat	50300286507558	₹ 2,52,697	22-10-2022	5.70%	1 Year	22/10/2023	22/10/2023	₹ 2,67,413	₹ 2,67,413	₹ 0
2	HDFC Bank Sarkaghat	5030035567608	₹ 3,37,162	03-08-2022	5.35%	1 Year	08-03-2023	08-03-2023	₹ 3,55,565	₹ 3,55,565	₹ 0
3	HDFC Bank Sarkaghat	503008201676	₹ 1,21,86,650	30-04-2022	5.10%	1 Year	30-04-2023	30-04-2023	₹ 1,28,20,156	₹ 1,28,20,156	₹ 0
4	HPSCB Sarkaghat	32330303208	₹ 7,06,294	14-07-2022	5.25%	1 Year	14/07/2023	14/07/2023	₹ 7,44,111	₹ 7,44,111	₹ 0
5	HPSCB Sarkaghat	32330303340	₹ 41,11,924	07-11-2022	6.35%	1 Year	11-07-2023	11-07-2023	₹ 43,79,315	₹ 43,79,315	₹ 0
6	HP Gramin Bank Sarkaghat	87273105581029	₹ 36,974	15-05-2022	5.25%	1 Year	15/05/2023	15/05/2023	₹ 38,954	₹ 38,954	₹ 0
7	Canara Bank Sarkaghat	506940100030071	₹ 1,00,146	02-12-2022	6.25%	1 Year	02-12-2023	02-12-2023	₹ 1,06,553	₹ 1,06,553	₹ 0
8	Punjab National Bank Sarkaghat	1794302100355	₹ 1,24,71,949	21-10-2022	5.70%	1 Year	21/10/2023	21/10/2023	₹ 1,31,98,190	₹ 1,31,98,190	₹ 0
9	Punjab National Bank Sarkaghat	1794302100336	₹ 1,29,30,740	21-10-2022	5.70%	6 M 10 D	21-10-2023	01-05-2023	₹ 1,33,22,665	₹ 1,31,35,639	₹ 1,87,026
Total as on 31-03-2024											₹ 1,87,026


Executive Officer,
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 13.1 में संदर्भित

परिशिष्ट 18



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT (HIMACHAL PRADESH)

Phone 01905-230620, Fax – 01905 – 230620

email:-mc.sarkaghat9@gmail.com web: http://www.npsarkaghat.com.com

Statement of House tax Balance as on 31-03-2024 Municipal Council Sarkaghat Distt. Mandi (H.P.)

Year	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Balance
2023-24	6302918-00	852368-00	7155286-00	911785-00	6243501-00

Note:-

- (1) This Demand & Collection Register for Property tax has been closed and new record is being maintained online in e- Sampati Portal w.e.f. 01-04-2024 where opening balance has not been brought forward because new tax assessment was carried out by the MC through GPS Survey.
- (2) The Property tax pending for recovery as on 31-03-2024 is being collected by issuing separate demand notices.


Executive Officer
Municipal Council
Sarkaghat Distt. Mandi
Himachal Pradesh

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2023-24 में दुकान किराया की कुल माँग, वसूली तथा अन्तशेष की संकलित विवरणी।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	वर्ष में कुल माँग	कुल योग	वर्ष में कुल वसूली	31.03.2024 को अन्तशेष
2023-24	₹ 31,28,758	₹ 3,77,444	₹ 35,06,202	₹ 3,26,299	₹ 31,79,903

टिप्पणियाँ:-

1. अवधि 2022-23 के गत अंकेक्षण के लिये बकाया किराये की जो विवरण दी गई थी उसमें दर्शाई गई अन्तशेष की ₹2632943/- की राशि ₹495815/- से कम दर्शाई गई थी क्योंकि इसमें में माँस बिक्री खोखों तथा रजनी देवी से वसूली के लिये शेष ₹303290/- की राशि नहीं दर्शाई गई थी क्योंकि इसका लेखांकन अलग लैजर में किया जाता था। परन्तु वर्ष 2023-24 से इन दोनों लैजरों को समामेलित कर दिया गया है।

2. उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रारम्भिक शेष में ₹192525/- की राशि सेवाकर की गणना में गणितीय चूक के कारण कम दर्शाई गई थी जिसमें अब चूक सुधार करके किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर को अपडेट करते हुये वसूली हेतु शेष किराये के प्रारम्भिक शेष को ₹495892/- की राशि से बढ़ाकर ₹3128758/- कर दिया गया है।

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

वर्ष 2023-24 में दुकान किराया की कुल माँग, वसूली तथा अन्तःशेष की विवरणी।

क्र	नाम दुकानदार	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का पृष्ठ	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का क्रमांक	किराया प्रतिमाह	01.04.2023 को बकाया राशि(₹)	वर्ष 2023-24 के लिये किराया माँग राशि(₹)	कुल माँग (₹)	वर्ष 2023-24 में वसूल राशि(₹)	31.03.2024 को बकाया राशि(₹)	जितनी अवधि के लिये वसूली शेष है (माह)	टिप्पणी	नवीनतम किराया अनुबन्ध की समाप्ति की अन्तिम दिनांक
1	उत्तम चन्द	82	1	₹ 660	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
2	कशमीरा देवी	82	2	₹ 1,870	-₹ 4,711	₹ 4,711	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
3	हरी दत्त	82	3	₹ 1,771	₹ 12,956	₹ 0	₹ 12,956	₹ 12,956	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
4	रतन चन्द	82	4	₹ 820	-₹ 404	₹ 404	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
5	चरण सिंह	82	5	₹ 915	₹ 514	₹ 0	₹ 514	₹ 0	₹ 514	1	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
6	कृष्ण चन्द	82	6	₹ 998	₹ 11,736	₹ 0	₹ 11,736	₹ 11,686	₹ 50	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
7	धीरवल राम	83	7	₹ 968	₹ 52,113	₹ 0	₹ 52,113	₹ 12,800	₹ 39,313	41	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
8	कृष्ण लाल	83	8	₹ 1,170	-₹ 1,085	₹ 1,085	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
9	जर्मिला देवी	83	9	₹ 1,390	-₹ 1,368	₹ 1,368	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
10	अशा देवी	83	10	₹ 1,568	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
11	विनोद कुमार	83	11	₹ 1,771	-₹ 580	₹ 580	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
12	सुरेश कुमार	83	12	₹ 893	-₹ 146	₹ 146	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
13	रमेश चन्द	84	13	₹ 836	-₹ 900	₹ 900	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
14	विपन कुमार	84	14	₹ 2,200	-₹ 432	₹ 432	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
15	सन्तोष कुमार	84	15	₹ 1,288	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
16	दिनोद कुमार	84	16	₹ 1,980	-₹ 200	₹ 200	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
17	श्री राम चन्द	84	17	₹ 603	₹ 2,740	₹ 0	₹ 2,740	₹ 2,740	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***

18	अमर सिंह	84	18	₹ 768	₹ 1,03,511	₹ 0	₹ 1,03,511	₹ 5,000	₹ 98,511	128	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है तथा वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
19	पवन कुमार	85	19	₹ 484	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
20	ओम प्रकाश	85	20	₹ 485	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	39	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
21	नीलिमा ठाकुर	85	21	₹ 770	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	20	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
22	मरत राम	85	22	₹ 1,610	₹ 2,95,994	₹ 19,320	₹ 3,15,314	₹ 0	₹ 3,15,314	196	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
23	अरविनी कुमार	85	23	₹ 1,610	₹ 2,97,301	₹ 19,320	₹ 3,16,621	₹ 0	₹ 3,16,621	197	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
24	संजय कुमार	85	24	₹ 2,198	₹ 4,36,907	₹ 26,376	₹ 4,63,283	₹ 0	₹ 4,63,283	211	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
25	हंस राज	86	25	₹ 3,235	₹ 6,45,998	₹ 38,820	₹ 6,84,818	₹ 0	₹ 6,84,818	212	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
26	अमित कुमार	86	26	₹ 1,650	₹ 14,020	₹ 0	₹ 14,020	₹ 500	₹ 13,520	8	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
27	शालिग्राम	86	27	₹ 800	₹ 37,801	₹ 9,600	₹ 47,401	₹ 0	₹ 47,401	59	***	13-10-2022
28	रतन लाल	86	28	₹ 800	₹ 9,822	₹ 9,600	₹ 19,422	₹ 14,000	₹ 5,422	7	***	01-04-2009
29	प्रेम रचरूप	86	29	₹ 2,035	₹ 2,290	₹ 2,290	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
30	रमेश कुमार	86	30	₹ 800	₹ 1,196	₹ 9,600	₹ 8,404	₹ 8,404	₹ 0	0	***	08-12-2027
31	रमेश चन्द	87	31	₹ 800	₹ 7,272	₹ 9,600	₹ 16,872	₹ 16,872	₹ 0	0	***	12-01-2009
32	अमर नाथ	87	32	₹ 330	₹ 19,156	₹ 3,960	₹ 23,116	₹ 0	₹ 23,116	70	***	01-03-1995
33	सोहन सिंह	87	33	₹ 1,100	₹ 40,376	₹ 13,200	₹ 53,576	₹ 30,000	₹ 23,576	21	***	11-02-2024
34	कर्मचन्द	87	34	₹ 396	₹ 30,622	₹ 4,752	₹ 35,374	₹ 0	₹ 35,374	89	***	20-07-2011
35	प्रोमिला देवी	87	35	₹ 396	₹ 8,640	₹ 4,752	₹ 13,392	₹ 12,000	₹ 1,392	4	***	29-03-2020
36	जुनी लाल	87	36	₹ 440	₹ 78,591	₹ 5,280	₹ 83,871	₹ 0	₹ 83,871	191	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
37	कश्मीर सिंह	88	37	₹ 836	₹ 5,604	₹ 10,032	₹ 15,636	₹ 15,636	₹ 0	0	***	01-04-2023
38	हजारी लाल	88	38	₹ 365	₹ 1,21,922	₹ 4,380	₹ 1,26,302	₹ 52,952	₹ 73,350	201	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
39	सुनील कुमार	88	39	₹ 476	₹ 52,086	₹ 5,712	₹ 57,798	₹ 0	₹ 57,798	121	***	01-04-2009
40	आर. एस. परमार	88	40	₹ 365	₹ 1,05,575	₹ 4,380	₹ 1,09,955	₹ 0	₹ 1,09,955	301	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***
41	सरफदीन	88	41	₹ 660	₹ 0	₹ 7,920	₹ 7,920	₹ 6,600	₹ 1,320	2	***	31-12-1995
42	नरसू राम	88	42	₹ 512	₹ 384	₹ 6,144	₹ 6,528	₹ 3,000	₹ 3,528	7	***	31-12-1998
43	जंजंथर	89	43	₹ 171	₹ 11,316	₹ 2,052	₹ 13,368	₹ 0	₹ 13,368	78	***	***
44	विजय कुमार	89	44	₹ 1,760	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
45	ब्रह्म दत्त	89	45	₹ 1,122	₹ 64,752	₹ 13,464	₹ 78,216	₹ 1,006	₹ 77,216	69	वसूली हेतु मामला अदालत में विचारधीन है।	***

46	प्रकाश चन्द	89	46	₹ 984	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***
47	प्रवीण कुमार	89	47	₹ 2,795	₹ 1,92,044	₹ 33,540	₹ 2,25,584	₹ 33,000	₹ 1,92,584	₹ 69	वसूली हेतु मामला अदालत में विद्यारथीन है।	***		
48	विकास	89	48	₹ 1,133	₹ 1,133	₹ 0	₹ 1,133	₹ 1,133	₹ 0	0	दुकान असुरक्षित घोषित कर दी गई है।	***		
49	विनोद कुमार	90	49	₹ 2,662	₹ 1,36,456	₹ 31,944	₹ 1,68,400	₹ 0	₹ 1,68,400	63	वसूली हेतु मामला अदालत में विद्यारथीन है।	***		
50	अरविन्द कुमार	90	52	₹ 605	₹ 7,260	₹ 7,260	₹ 14,520	₹ 14,520	₹ 0	0	***	14-06-2030		
51	ज्ञान चन्द	90	माँस विक्री खोखा	₹ 1,100	₹ 33,850	₹ 13,200	₹ 47,050	₹ 3,000	₹ 44,050	40	***	30-11-2017		
52	राम लाल	90	माँस विक्री खोखा	₹ 1,070	₹ 68,480	₹ 12,840	₹ 81,320	₹ 0	₹ 81,320	76	***	***		
53	राजेन्द्र कुमार	90	माँस विक्री खोखा	₹ 1,080	₹ 52,520	₹ 12,960	₹ 65,480	₹ 7,000	₹ 58,480	54	***	30-11-2017		
54	गोपाल	90	माँस विक्री खोखा	₹ 1,050	₹ 5,400	₹ 12,600	₹ 18,000	₹ 19,000	-₹ 1,000	-1	***	30-11-2017		
55	सन्नी	90	माँस विक्री खोखा	₹ 1,060	₹ 70,140	₹ 12,720	₹ 82,860	₹ 30,000	₹ 52,860	50	***	30-11-2017		
56	रजनी देवी	91		₹ 0	₹ 72,900	₹ 0	₹ 72,900	₹ 12,500	₹ 60,400		रजनी देवी ने दुकान छोड़ दी है परन्तु बकाया किराया का भुगतान किरातों में कर रही है।	***		
कुल योग				₹ 31,28,758	₹ 3,77,444	₹ 35,06,202	₹ 3,26,299	₹ 31,79,903						
जमा:--														
उपकर बकाया की पुरानी वसूली								₹ 1,925						
वर्ष 2022-23 की रसीद संख्या 4162 दिनांक 31.03.2023 का लेखांकन 04/2023 में रोकड़ बही में किया गया।								₹ 1,500						
गृहकर की राशि का लेखांकन चूकवश रोकड़ बही में किराये के रूप में कर दिया गया था।								₹ 608						
रोकड़ बही अनुसार वर्ष 2023-24 में लेखांकित कुल किराया वसूली								₹ 3,30,332						

Exco. Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

72(1)

Statement of installation/renewal fee due, realized and outstanding in r/o mobile towers during the years 2023-24

Sr	Name of Mobile Company	Year/ date of intallation of Tower	Opening Balance of Pending Demand as per the register	Demand due for the year	Total demand	Demand realized during the year	Closing Balance of the company including Advance
1	BSNL	2006-07	₹ 1,13,434	₹ 0	₹ 1,13,434	₹ 0	₹ 1,13,434
2	Airtel	2006-07	₹ 1,07,184	₹ 0	₹ 1,07,184	₹ 0	₹ 1,07,184
3	Aircel	2008-09	₹ 1,02,184	₹ 0	₹ 1,02,184	₹ 0	₹ 1,02,184
4	Bharti Infratel	2013-14	₹ 57,809	₹ 0	₹ 57,809	₹ 0	₹ 57,809
5	ATC Telecom Infrastructure	2019-20	₹ 25,000	₹ 0	₹ 25,000	₹ 0	₹ 25,000
7	Reliance Jio Infratel	2020-21	₹ 25,000	₹ 0	₹ 25,000	₹ 0	₹ 25,000
8	Reliance Jio Infacom Pvt. Ltd	2020-21	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0	₹ 0
	Total for 2020-21		₹ 4,30,611	₹ 0	₹ 4,30,611	₹ 0	₹ 4,30,611

Note:

- 1 The Opening Balances have been uprevised and updated as per the Mobile Tower Fee Register of the Municipal Committee.
- 2 Demand for the year 2023-24 has not been raised keeping in view the abolition of Mobile Tower Installation Fee and Renewal Fee in the New in the Amended Right to Way Policy, 2023 as circulated by the Department of Digital Technologies and Governance, Himachal Pradesh vide notification No. DIT-F/21-(e-34214)-302 dated 31-01-2024

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 13.1 के संदर्भित

परिशिष्ट "16"



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT, DISTRICT MANDI (H.P.)

Phone: (01905) 230620, Fax No. : (01905) 230620,

Email : mc.sarkaghat9@gmail.com, Website : <http://www.npsarkaghat.com>

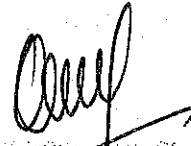
नगर परिषद सरकाघाट जिला मण्डी हि० प्र०

अवधि 4 / 2018 से 3 / 2024 तक विवाह पंजीकरण शुल्क की कम प्राप्त राशी का विवरण :-

क्र० सं०	असली क्र० संख्या	अंकेक्षण अवधि	पैरा संख्या	विवाह की तिथि	वर / वधू का नाम	जाति	विवाह पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशी	वसूल राशी	कम वसूल राशी
1.	(8)	4 / 18 से 3 / 20	12	05-02-2018	संजीव / चन्द्रकान्त वार्ड न०-2	S.C.	25-06-2018	200	50	150
2.	(13)	.. उपरोक्त...	12	23-06-2018	शशी / शिवानी वार्ड न०-7	Gen.	13-08-2018	400	10	390
3.	(14)	... उपरोक्त...	12	20-02-2018	लोकेन्द्र / संगीता वार्ड न०-5	S.C.	10-09-2018	400	50	350
4.	(04) वर्ष 2019	... उपरोक्त...	12	20-07-2018	रोहित / ममता वार्ड न०-7	S.C.	15-01-2019	400	50	350
5.	(28)	उपरोक्त.	12	26-02-2019	सन्नी / निशा वार्ड न०-5	SC	26-09-2019	400	50	350
6.	(34)	उपरोक्त...	12	14-11-2019	विकास / श्वेता वार्ड न०-2	Gen.	20-11-2019	200	5	195

कुल जोड़ -

1785


Municipal Council
Sarkaghat Dist. Mandi
Himachal Pradesh

73

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

26 वर्षों से लम्बित गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण

क्र०	नाम	वार्ड संख्या	मकान संख्या	वार्षिक गृहकर राशि(₹)	दिनांक 31.3.2024 को गृहकर बकाया राशि (₹)	जितनी अवधि के लिये वसूली शेष है (वर्ष)
1	पदमा ठाकुर	2	61	1080	18792	17.4
2	अरुण ठाकुर	2	127	2160	37584	17.4
3	तारा चन्द	2	147	2301	40041	17.4
4	पवन कुमार	2	253	2425	53465	22.0
5	संत राम	3	70	810	14094	17.4
6	देशराज	3	81	810	13122	16.2
7	रवि कुमार	3	104	1620	25596	15.8
8	सुरेन्द्र कुमार	4	4	2025	35235	17.4
9	रूप चन्द	4	111	2700	44880	16.6
10	केवल राम	4	157	2565	45631	17.8
11	ईश्वर दास	4	206	1890	48454	25.6
12	प्रेम सिंह	4	208	7830	144072	18.4
13	अच्छर सिंह	5	87	2430	42278	17.4
14	रतन पॉल	5	95	3375	58725	17.4
15	प्रेम सिंह	5	96	3780	65872	17.4
16	वीरेन्द्र	5	130	4995	86931	17.4
17	विपिन सिंह	5	135	140400	1083200	7.7
18	मकखन लाल	5	199	13366	232572	17.4
19	विजय कुमार	6	59	1485	25839	17.4
20	फूला देवी	6	150	8370	145638	17.4
21	हंस राज	7	18	2025	26730	13.2
22	राजेश कुमार	7	121	3032	29092	9.6
23	बृज लाल	7	122	2952	52037	17.6
24	सतीश कुमार	7	125	2700	37324	13.8
	कुल बकाया राशि (₹)				2407204	

दिनेश

Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

82 74

RECEIVED
JAN 11 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

2 से लेकर 25 वर्षों तक किराया न चुकाने वाले बकायेदारों का दिनांक 31.03.2024 का विवरण।

क्र	नाम दुकानदार	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का पृष्ठ	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का क्रमांक	किराया प्रतिमाह	01.04.2023 को बकाया राशि(₹)	वर्ष 2023-24 के लिये किराया माँग राशि(₹)	कुल माँग (₹)	वर्ष 2023-24 में वसूल राशि(₹)	31.03.2024 को बकाया राशि(₹)	जितनी अवधि के लिये वसूली शेष है (माह)	वर्ष
1	वीरबल राम	83	7	₹ 968	₹ 52,113	₹ 0	₹ 52,113	₹ 12,800	₹ 39,313	41	3.4
2	अमर सिंह	84	18	₹ 768	₹ 1,03,511	₹ 0	₹ 1,03,511	₹ 5,000	₹ 98,511	128	10.7
3	ओम प्रकाश	85	20	₹ 485	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	39	3.3
4	नीलिमा ठाकुर	85	21	₹ 770	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	20	1.6
5	मस्त राम	85	22	₹ 1,610	₹ 2,95,994	₹ 19,320	₹ 3,15,314	₹ 0	₹ 3,15,314	196	16.3
6	अश्विनी कुमार	85	23	₹ 1,610	₹ 2,97,301	₹ 19,320	₹ 3,16,621	₹ 0	₹ 3,16,621	197	16.4
7	संजय कुमार	85	24	₹ 2,198	₹ 4,36,907	₹ 26,376	₹ 4,63,283	₹ 0	₹ 4,63,283	211	17.6
8	हंस राज	86	25	₹ 3,235	₹ 6,45,998	₹ 38,820	₹ 6,84,818	₹ 0	₹ 6,84,818	212	17.6
9	शालिग्राम	86	27	₹ 800	₹ 37,801	₹ 9,600	₹ 47,401	₹ 0	₹ 47,401	59	4.9
10	अमर नाथ	87	32	₹ 330	₹ 19,156	₹ 3,960	₹ 23,116	₹ 0	₹ 23,116	70	5.8
11	सोहन सिंह	87	33	₹ 1,100	₹ 40,376	₹ 13,200	₹ 53,576	₹ 30,000	₹ 23,576	21	1.8
12	कर्मचन्द	87	34	₹ 396	₹ 30,622	₹ 4,752	₹ 35,374	₹ 0	₹ 35,374	89	7.4
13	चुनी लाल	87	36	₹ 440	₹ 78,591	₹ 5,280	₹ 83,871	₹ 0	₹ 83,871	191	15.9
14	हजारी लाल	88	38	₹ 365	₹ 1,21,922	₹ 4,380	₹ 1,26,302	₹ 52,952	₹ 73,350	201	16.7
15	सुनील कुमार	88	39	₹ 476	₹ 52,086	₹ 5,712	₹ 57,798	₹ 0	₹ 57,798	121	10.1
16	आर. एस. परमार	88	40	₹ 365	₹ 1,05,575	₹ 4,380	₹ 1,09,955	₹ 0	₹ 1,09,955	301	25.1
17	जंजघर	89	43	₹ 171	₹ 11,316	₹ 2,052	₹ 13,368	₹ 0	₹ 13,368	78	6.5
18	ब्रह्म दत्त	89	45	₹ 1,122	₹ 64,752	₹ 13,464	₹ 78,216	₹ 1,000	₹ 77,216	69	5.7
19	प्रवीण कुमार	89	47	₹ 2,795	₹ 1,92,044	₹ 33,540	₹ 2,25,584	₹ 33,000	₹ 1,92,584	69	5.7
20	विनोद कुमार	90	49	₹ 2,662	₹ 1,36,456	₹ 31,944	₹ 1,68,400	₹ 0	₹ 1,68,400	63	5.3
21	ज्ञान चन्द	90	माँस बिक्री खोखा	₹ 1,100	₹ 33,850	₹ 13,200	₹ 47,050	₹ 3,000	₹ 44,050	40	3.3
22	राम लाल	90	माँस बिक्री खोखा	₹ 1,070	₹ 68,480	₹ 12,840	₹ 81,320	₹ 0	₹ 81,320	76	6.3
23	राजेन्द्र कुमार	90	माँस बिक्री खोखा	₹ 1,080	₹ 52,520	₹ 12,960	₹ 65,480	₹ 7,000	₹ 58,480	54	4.5
24	सन्नी	90	माँस बिक्री खोखा	₹ 1,060	₹ 70,140	₹ 12,720	₹ 82,860	₹ 30,000	₹ 52,860	50	4.2
कुल योग					₹ 29,81,689	₹ 2,87,820	₹ 32,69,509	₹ 1,74,752	₹ 30,94,757		

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

85 75

अनुच्छेद 18.4 में सन्दर्भित।

परिशिष्ट "19...."

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश
दिनांक 31.03.2024 को असुरक्षित घोषित दुकानों की बकाया किराया की विवरणी।

क्र	नाम दुकानदार	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का पृष्ठ	दुकान किराया माँग व सन्ग्रहण रजिस्टर का क्रमांक	किराया प्रतिमाह	01.04.2023 को बकाया राशि(₹)	वर्ष 2023-24 के लिये किराया माँग राशि(₹)	कुल माँग (₹)	वर्ष 2023-24 में वसूल राशि(₹)	31.03.2024 को बकाया राशि(₹)	जितनी अवधि के लिये वसूली शेष है (माह)
1	चरण सिंह	82	5	₹ 915	₹ 514	₹ 0	₹ 514	₹ 0	₹ 514	1
2	बीरबल राम	83	7	₹ 968	₹ 52,113	₹ 0	₹ 52,113	₹ 12,800	₹ 39,313	41
3	अमर सिंह	84	18	₹ 768	₹ 1,03,511	₹ 0	₹ 1,03,511	₹ 5,000	₹ 98,511	128
4	ओम प्रकाश	85	20	₹ 485	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	₹ 0	₹ 19,146	39
5	नीलिमा ठाकुर	85	21	₹ 770	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	₹ 0	₹ 15,032	20
6	अमित कुमार	86	26	₹ 1,650	₹ 14,020	₹ 0	₹ 14,020	₹ 500	₹ 13,520	8
	कुल योग				₹ 2,04,336	₹ 0	₹ 2,04,336	₹ 18,300	₹ 1,86,036	

Executive Officer
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 13:5 में सन्दर्भित।

परिशिष्ट "20."

कार्यालय कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् सरकाघाट, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

असुरक्षित घोषित 26 दुकानों को खाली करवाकर पुनः निर्मित न करने और इन दुकानों का किराया वसूली बन्द करने के कारण हुई राजस्व हानि का विवरण।

क्रम	नाम दुकानदार	दुकान किराया माँग व सन्यहण रजिस्टर का पृष्ठ	दुकान किराया माँग व सन्यहण रजिस्टर का क्रमांक	किराया प्रतिमाह	01.04.2022 से 31.03.2025 तक 40 माह की वसूली योग्य किराया राशि जिसकी माँग नहीं की गई (₹)
1	उत्तम चन्द	82	1	₹ 660	₹ 26,400
2	कशमीरा देवी	82	2	₹ 1,870	₹ 74,800
3	हरी दत्त	82	3	₹ 1,771	₹ 70,840
4	रतन चन्द	82	4	₹ 820	₹ 32,800
5	चरण सिंह	82	5	₹ 915	₹ 36,600
6	कृष्ण चन्द	82	6	₹ 998	₹ 39,920
7	बीरबल राम	83	7	₹ 968	₹ 38,720
8	कृष्ण लाल	83	8	₹ 1,170	₹ 46,800
9	उर्मिला देवी	83	9	₹ 1,390	₹ 55,600
10	अशा देवी	83	10	₹ 1,568	₹ 62,720
11	विनोद कुमार	83	11	₹ 1,771	₹ 70,840
12	सुरेश कुमार	83	12	₹ 893	₹ 35,720
13	रमेश चन्द	84	13	₹ 836	₹ 33,440
14	विपन कुमार	84	14	₹ 2,200	₹ 88,000
15	सन्तोष कुमार	84	15	₹ 1,288	₹ 51,520
16	विनोद कुमार	84	16	₹ 1,980	₹ 79,200
17	श्री राम चन्द	84	17	₹ 603	₹ 24,120
18	अमर सिंह	84	18	₹ 768	₹ 30,720
19	पवन कुमार	85	19	₹ 484	₹ 19,360
20	ओम प्रकाश	85	20	₹ 485	₹ 19,400
21	नीलिमा ठाकुर	85	21	₹ 770	₹ 30,800
22	अमित कुमार	86	26	₹ 1,650	₹ 66,000
23	प्रेम स्वरूप	86	29	₹ 2,035	₹ 81,400
24	विजय कुमार	89	44	₹ 1,760	₹ 70,400
25	प्रकाश चन्द	89	46	₹ 984	₹ 39,360
26	विकास	89	48	₹ 1,133	₹ 45,320
	कुल योग				₹ 12,70,800

दिनेश
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

86 77

collected in 1964
from the same area
as the 1963 sample

अनुच्छेद 13.7 में सन्दर्भित।

परिशिष्ट "...21..."

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh

Statement of short realization of Tehbazari during the years 2023-24

Sr	Type of business establishment	Total number of business establishment	Tehbazari Rate per day	Expected annual collection of Tehbazari
1	Khokha (Temporary Shed)	45	₹ 30	₹ 4,92,750
2	Rehdi Fadi Street Vendors	12	₹ 25	₹ 1,09,500
	Total for expected collection of Tehbazari			₹ 6,02,250
	Total collection during the year 2023-24			₹ 2,70,830
	Short Realization of sanitation fee			₹ 3,31,420

दिनांक
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

2100
Hendrickson
Assistant Secretary

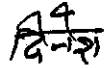
अनुच्छेद 3(1) में सन्दर्भित।

परिशिष्ट "22"

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh

Statement of short realization of Sanitation Fee during the years 2023-24

Sr	Type of buildings	Total number of buildings	Sanitation Fee Rate per month	Expected annual collection of Sanitation Fee
1	Households	1346	₹ 30	₹ 4,84,560
2	Rented accomodations	521	₹ 30	₹ 1,87,560
3	Shops	583	₹ 50	₹ 3,49,800
4	Schools	11	₹ 500	₹ 66,000
5	Hospitals/clinics	14	₹ 300	₹ 50,400
6	Offices	33	₹ 500	₹ 1,98,000
7	Dhabas	14	₹ 100	₹ 16,800
8	Restaurants	6	₹ 300	₹ 21,600
	Total for expected collection of Sanitation Fee			₹ 13,74,720
	Total collection during the year 2023-24			₹ 7,93,770
	Short Realization of sanitation fee			₹ 5,80,950


Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

88 79

Special Agent
Federal Bureau of Investigation
Washington, D.C.

Statement of House holds in the area of M.C Sarkghat for Collecting Sanitation Tax as on 31/03/2024.

Ward No.	Total House Holds	School	Hospitals/ Clinic	Shops	Govt office/ Private	Rented Room	Dhaba	Restaurant
1	101	Nil	-----	-----	-----	-----		
2	150	3	3	156	16	23		
3	136	1	---	31	1	50		
4	286	3	1	80	3	60	2	
5	171	1	9	98	4	86	2	
6	155	2	1	120	4	141	8	4
7.	347	1	-----	98	5	161	2	2
Total	1346	11	14	583	33	521	14	6



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT, DISTRICT MANDI (H.P.)

Phone: (01905) 230620, Fax No. : (01905) 230620,

Email : mc.sarkaghat9@gmail.com, Website : <http://www.npsarkaghat.com>

संख्या:-न0परि0/सरका0/2025-

दिनांक:- सरकाघाट

2025

सेवा में,

सहायक नियन्त्रक,
हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला, हि0 प्र0 171009

विषय:-
सिंगल यूज

महोदय,

नगर परिषद द्वारा वर्ष 2023-24 में नगर में उत्पन्न हुये बायोडीग्रेडेबल व नॉन बायोडीग्रेडेबल कचरे तथा प्लास्टिक वाई बैक योजना में की गई खरीद का दैनिक व मासिक विवरण व अभिलेख प्रस्तुत करने बारे ।

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र संख्या सहा0 नियन्त्रक/रा0 ले0 प0- शिमला/अंके0 अधि0/2025/-71 दिनांक 24-03-2025 के सन्दर्भ में निवेदन है कि नगर परिषद सरकाघाट द्वारा उत्पन्न हुये बायोडीग्रेडेबल व नॉन बायोडीग्रेडेबल कचरे तथा सिंगल यूज प्लास्टिक वाई बैक योजना के अन्तर्गत मांगी गई सूचना निम्नलिखित प्रकार से है :-

माह	उत्पन्न हुये बायोडीग्रेडेबल कचरे की मात्रा	निस्तारण किये गये कचरे की मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निस्तारण हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली	टिप्पणी
अप्रैल 2023	21 टन	21टन	319944/-	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
मई 2023	25 टन	25टन	306007/-	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
जून 2023	20 टन	20टन	357998/-	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
जुलाई 2023	21 टन	21टन	320020/-	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
अगस्त 2023	21 टन	21टन	755581/-	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
सितम्बर 2023	19 टन	19टन	477156/-	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
अक्टूबर 2023	18 टन	18टन	321164/-	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
नवम्बर 2023	20 टन	20टन	917271/-	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से	



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT, DISTRICT MANDI (H.P.)

Phone: (01905) 230620, Fax No. : (01905) 230620,
Email :mc.sarkaghat9@gmail.com, Website : <http://www.npsarkaghat.com>

जनवरी 2024	22 टन	22टन	426745 / -	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
फरवरी 2024	20 टन	20टन	403331 / -	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
मार्च 2024	21 टन	21टन	396015 / -	नगर परिषद क्षेत्र में सभी घरों से अलग -2 कूड़ा लिया जाता है तथा निस्तारण के लिये कूड़ा संयन्त्र साईट पर कम्पोस्टिंग पिट द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ।	
			5358612 / -		

माह	उत्पन्न हुये नार्न बायोडीग्रेडेवल कचरे की मात्रा	निस्तारण किये कचरे की मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निस्तारण हेतु अपनाई गई कार्य प्रणली	टिप्पणी
अप्रैल 2023	16 टन	16टन	497100	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
मई 2023	17 टन	17टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
जून 2023	20 टन	20टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
जुलाई 2023	21 टन	21टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
अगस्त 2023	18 टन	18टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
सितम्बर 2023	19 टन	19टन	564368	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
अक्तूबर 2023	18 टन	18टन	497100	कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
नवम्बर 2023	20 टन	20टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
दिसम्बर 2023	18टन	18टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
जनवरी 2024	22 टन	22टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
फरवरी 2024	20 टन	20टन		कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया	



MUNICIPAL COUNCIL SARKAGHAT, DISTRICT MANDI (H.P.)

Phone: (01905) 230620, Fax No. : (01905) 230620,

Email :mc.sarkaghat9@gmail.com, Website : <http://www.npsarkaghat.com>

मार्च 2024	21 टन	21 टन	41000	गया है । कूड़ा कचरा संयन्त्र साईट पर सुखे कचरे के लिये MRF साईट का निर्माण कर दिया गया है ।	
			1102468 /-		

माह	सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना में कचरा इक्कठा करने वालो से खरीदी गई मात्रा	सिंगल यूज प्लास्टिक बाई बैक योजना में सीधे नागरिकों से खरीदी गई मात्रा	निस्तारण पर किया गया व्यय	निदेशक शहरी विकास विभाग से की गई प्रतिपूर्ति	निस्तारण हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली	टिप्पणी
अप्रैल 2023 से 31-मार्च 2024		10 कि० ग्राम				

भवदीय

कार्यकारी अधिकारी,
नगर पञ्चदे सरकाघाट
जिला मण्डी (हि० प्र०)

अनुवृत्त 14.1 के अनुसार

परिशिष्ट "24"

Recovery Statement in r/o Sh. Sarpal Singh, Sweeper, Municipal Council Sartaghat, Dist. Mandi

Recovery of irregular pay fixation w.e.f. 17-02-2014 to 28-02-2025

Drawn										Due										Period/ months	Total Recovery
Date	Basic pay/Pay in the pay band	GP	Total Basic pay	DA rate	DA	Interim Relief rate	IR	Total		Date	Basic pay/Pay in the pay band	GP	Total Basic pay	DA rate	DA	Interim Relief rate	IR	Total		Difference per month	
17-02-2012 to 29-02-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230		17-02-2012 to 29-02-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	0	0.41	0
01-03-2012 to 30-06-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230		01-03-2012 to 30-06-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	0	4	0
01-07-2012 to 31-12-2012	4900	1300	6200	72%	4464	0%	0	10664		01-07-2012 to 31-12-2012	4900	1300	6200	72%	4464	0%	0	10664	0	6	0
01-01-2013 to 31-01-2013	4900	1300	6200	80%	4960	0%	0	11160		01-01-2013 to 31-01-2013	4900	1300	6200	80%	4960	0%	0	11160	0	1	0
01-02-2013 to 30-06-2013	5090	1300	6390	80%	5112	0%	0	11502		01-02-2013 to 30-06-2013	5090	1300	6390	80%	5112	0%	0	11502	0	5	0
01-07-2013 to 31-12-2013	5090	1300	6390	90%	5751	0%	0	12141		01-07-2013 to 31-12-2013	5090	1300	6390	90%	5751	0%	0	12141	0	6	0
01-01-2014 to 31-01-2014	5090	1300	6390	100%	6390	0%	0	12780		01-01-2014 to 31-01-2014	5090	1300	6390	100%	6390	0%	0	12780	0	1	0
01-02-2014 to 16-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180		01-02-2014 to 16-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	0	0.57	0
17-02-2014 to 28-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180		17-02-2014 to 28-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	0	0.43	-300
01-03-2014 to 30-06-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180		01-03-2014 to 30-06-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	-700	4	-2800
01-07-2014 to 31-12-2014	5290	1300	6590	107%	7051	0%	0	13641		01-07-2014 to 31-12-2014	5290	1300	6590	107%	7426	0%	0	13880	-700	6	-4350
01-01-2015 to 31-01-2015	5290	1300	6590	113%	7447	0%	0	14037		01-01-2015 to 31-01-2015	5290	1300	6590	113%	7842	0%	0	14782	-745	1	-745
01-02-2015 to 30-06-2015	5490	1300	6790	113%	7673	0%	0	14463		01-02-2015 to 30-06-2015	5500	1300	6800	113%	8080	0%	0	15230	-767	5	-3835
01-07-2015 to 31-12-2015	5490	1300	6790	119%	8080	0%	0	14870		01-07-2015 to 31-12-2015	5500	1300	6800	119%	8509	0%	0	15659	-789	6	-4734
01-01-2016 to 31-01-2016	5490	1300	6790	125%	8488	8%	543	15821		01-01-2016 to 31-01-2016	5500	1300	6800	125%	8938	8%	572	16660	-839	1	-839
01-02-2016 to 30-06-2016	5910	1300	7560	125%	9450	8%	605	17615		01-02-2016 to 30-06-2016	5720	1300	7020	125%	9213	8%	580	17173	442	5	2210
01-07-2016 to 31-07-2016	5910	1300	7560	130%	9828	8%	605	17993		01-07-2016 to 31-07-2016	5720	1300	7020	130%	9581	8%	580	17541	452	1	452
01-08-2016 to 31-12-2016	5910	1300	7560	130%	9828	13%	983	18371		01-08-2016 to 31-12-2016	5720	1300	7020	130%	9581	13%	958	17909	462	5	2310
01-01-2017 to 31-01-2017	5910	1300	7560	134%	10130	13%	983	18673		01-01-2017 to 31-01-2017	5720	1300	7020	134%	9876	13%	958	18204	469	1	469
01-02-2017 to 30-06-2017	6140	1300	7790	134%	10439	13%	1013	19242		01-02-2017 to 30-06-2017	5950	1300	7250	134%	10184	13%	988	18772	470	5	2350
01-07-2017 to 31-07-2017	6140	1300	7790	137%	10672	13%	1013	19475		01-07-2017 to 31-07-2017	5950	1300	7250	137%	10412	13%	988	19006	475	1	475
01-08-2017 to 31-12-2017	6140	1300	7790	137%	10672	17%	1324	19786		01-08-2017 to 31-12-2017	5950	1300	7250	137%	10412	17%	1292	19504	482	5	2410
01-01-2018 to 31-01-2018	6140	1300	7790	140%	10906	17%	1324	20020		01-01-2018 to 31-01-2018	5950	1300	7250	140%	10640	17%	1292	19532	488	1	488
01-02-2018 to 30-06-2018	6380	1300	8030	140%	11242	17%	1365	20637		01-02-2018 to 30-06-2018	6180	1300	7480	140%	10962	17%	1331	20123	514	5	2570
01-07-2018 to 31-12-2018	6380	1300	8030	144%	11563	21%	1686	21279		01-07-2018 to 31-12-2018	6180	1300	7480	144%	11275	21%	1644	20749	530	6	3180
01-01-2019 to 31-01-2019	6380	1300	8030	148%	11884	21%	1686	21600		01-01-2019 to 31-01-2019	6180	1300	7480	148%	11588	21%	1644	21062	538	1	538
01-02-2019 to 30-06-2019	6620	1300	8270	148%	12240	21%	1737	22247		01-02-2019 to 30-06-2019	6180	1300	7480	148%	11588	21%	1644	21062	538	5	5925
01-07-2019 to 31-12-2019	6620	1300	8270	153%	12653	21%	1737	22660		01-07-2019 to 31-12-2019	6420	1300	7720	153%	11880	21%	1644	21454	1206	6	7236
01-01-2020 to 31-01-2020	6620	1300	8270	153%	12653	21%	1737	22660		01-01-2020 to 31-01-2020	6420	1300	7720	153%	11880	21%	1644	21454	1206	1	548
01-02-2020 to 30-06-2020	6870	1300	8520	153%	13036	21%	1789	23345		01-02-2020 to 30-06-2020	6420	1300	7720	153%	11880	21%	1644	21454	1206	5	6165
01-07-2020 to 31-12-2020	6870	1300	8520	153%	13036	21%	1789	23345		01-07-2020 to 31-12-2020	6420	1300	7720	153%	11880	21%	1644	21454	1206	6	7398
01-01-2021 to 31-01-2021	6870	1300	8520	153%	13036	21%	1789	23345		01-01-2021 to 31-01-2021	6420	1300	7720	153%	11880	21%	1644	21454	1206	1	1233
01-02-2021 to 16-02-2021	7400	1300	9300	153%	14229	21%	1953	25482		01-02-2021 to 16-02-2021	6920	1300	8220	153%	13112	21%	1800	23482	2000	0.57	1143

17-02-2021 to 28-02-2021	7400	1900	9300	153%	14229	21%	1953	25482	17-02-2021 to 28-02-2021	7180	1650	8830	153%	13510	21%	1854	24194	1288	0.43	552
01-03-2021 to 30-06-2021	7400	1900	9300	153%	14229	21%	1953	25482	01-03-2021 to 30-06-2021	7180	1650	8830	153%	13510	21%	1854	24194	1288	4	5152
01-07-2021 to 31-12-2021	7400	1900	9300	159%	14787	21%	1953	26040	01-07-2021 to 31-12-2021	7180	1650	8830	159%	14040	21%	1854	24724	1316	6	7896
01-01-2022 to 31-01-2022	22800		22800	34%	7752			30552	01-01-2022 to 31-01-2022	22100		22100	34%	7514			29614	938	1	938
01-02-2022 to 30-06-2022	23500		23500	34%	7990			31490	01-02-2022 to 30-06-2022	22800		22800	34%	7752			30552	938	5	4690
01-07-2022 to 31-12-2022	23500		23500	34%	7990			31490	01-07-2022 to 31-12-2022	22800		22800	34%	7752			30552	938	6	5628
01-01-2023 to 31-01-2023	23500		23500	34%	7990			31490	01-01-2023 to 31-01-2023	22800		22800	34%	7752			30552	938	1	938
01-02-2023 to 30-06-2023	24200		24200	34%	8228			32428	01-02-2023 to 30-06-2023	23500		23500	34%	7990			31490	938	5	4690
01-07-2023 to 31-12-2023	24200		24200	34%	8228			32428	01-07-2023 to 31-12-2023	23500		23500	34%	7990			31490	938	6	5628
01-01-2024 to 31-01-2024	24200		24200	34%	8228			32428	01-01-2024 to 31-01-2024	23500		23500	34%	7990			31490	938	1	938
01-02-2024 to 31-03-2024	24900		24900	34%	8466			33366	01-02-2024 to 31-03-2024	24200		24200	34%	8228			32428	938	2	1876
01-04-2024 to 30-06-2024	24900		24900	38%	9462			34362	01-04-2024 to 30-06-2024	24200		24200	38%	9196			33366	966	3	2898
01-07-2024 to 30-09-2024	24900		24900	38%	9462			34362	01-07-2024 to 30-09-2024	24200		24200	38%	9196			33366	966	3	2898
01-10-2024 to 31-12-2024	24900		24900	42%	10458			35358	01-10-2024 to 31-12-2024	24200		24200	42%	10164			34364	994	3	2982
01-01-2025 to 31-01-2025	24900		24900	42%	10458			35358	01-01-2025 to 31-01-2025	24200		24200	42%	10164			34364	994	1	994
01-02-2025 to 28-02-2025	25600		25600	42%	10752			36352	01-02-2025 to 28-02-2025	24900		24900	42%	10458			35358	994	1	994
Total									Total											79189

85-

Assistant Controller
 Himachal Pradesh State Audit Department
 Shimla-171099

40. 1970年10月10日
 41. 1970年10月10日
 42. 1970年10月10日
 43. 1970年10月10日
 44. 1970年10月10日
 45. 1970年10月10日
 46. 1970年10月10日
 47. 1970年10月10日
 48. 1970年10月10日
 49. 1970年10月10日
 50. 1970年10月10日
 51. 1970年10月10日
 52. 1970年10月10日
 53. 1970年10月10日
 54. 1970年10月10日
 55. 1970年10月10日
 56. 1970年10月10日
 57. 1970年10月10日
 58. 1970年10月10日
 59. 1970年10月10日
 60. 1970年10月10日
 61. 1970年10月10日
 62. 1970年10月10日
 63. 1970年10月10日
 64. 1970年10月10日
 65. 1970年10月10日
 66. 1970年10月10日
 67. 1970年10月10日
 68. 1970年10月10日
 69. 1970年10月10日
 70. 1970年10月10日
 71. 1970年10月10日
 72. 1970年10月10日
 73. 1970年10月10日
 74. 1970年10月10日
 75. 1970年10月10日
 76. 1970年10月10日
 77. 1970年10月10日
 78. 1970年10月10日
 79. 1970年10月10日
 80. 1970年10月10日
 81. 1970年10月10日
 82. 1970年10月10日
 83. 1970年10月10日
 84. 1970年10月10日
 85. 1970年10月10日
 86. 1970年10月10日
 87. 1970年10月10日
 88. 1970年10月10日
 89. 1970年10月10日
 90. 1970年10月10日
 91. 1970年10月10日
 92. 1970年10月10日
 93. 1970年10月10日
 94. 1970年10月10日
 95. 1970年10月10日
 96. 1970年10月10日
 97. 1970年10月10日
 98. 1970年10月10日
 99. 1970年10月10日
 100. 1970年10月10日

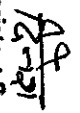
Recovery Statement in r/o Sh. Satish Singh Sweeper, Municipal Council Sarlaghat, Dist. Mandi

Recovery of irregular pay fixation w.e.f. 17-02-2014 to 28-02-2025

Drawn													Due													Difference e per month	Period/ months	Total Recovery
Date	Basic pay/Rev in the pay band	GP	Total Basic pay	DA rate	DA	Interim Relief rate	IR	Total	Date	Basic pay/Rev in the pay band	GP	Total Basic pay	DA rate	DA	Interim Relief rate	IR	Total											
17-02-2012 to 29-02-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	17-02-2012 to 29-02-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	0	0.41	0								
01-03-2012 to 30-06-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	01-03-2012 to 30-06-2012	4900	1300	6200	65%	4030	0%	0	10230	0	4	0								
01-07-2012 to 31-12-2012	4900	1300	6200	72%	4464	0%	0	10664	01-07-2012 to 31-12-2012	4900	1300	6200	72%	4464	0%	0	10664	0	6	0								
01-01-2013 to 31-01-2013	4900	1300	6200	80%	4960	0%	0	11160	01-01-2013 to 31-01-2013	4900	1300	6200	80%	4960	0%	0	11160	0	1	0								
01-02-2013 to 30-06-2013	5090	1300	6390	80%	5112	0%	0	11502	01-02-2013 to 30-06-2013	5090	1300	6390	80%	5112	0%	0	11502	0	5	0								
01-07-2013 to 31-12-2013	5090	1300	6390	90%	5751	0%	0	12141	01-07-2013 to 31-12-2013	5090	1300	6390	90%	5751	0%	0	12141	0	6	0								
01-01-2014 to 31-01-2014	5090	1300	6390	100%	6390	0%	0	12780	01-01-2014 to 31-01-2014	5090	1300	6390	100%	6390	0%	0	12780	0	1	0								
01-02-2014 to 16-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	01-02-2014 to 16-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	0	0.57	0								
17-02-2014 to 28-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	17-02-2014 to 28-02-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	-700	0.43	-300								
01-03-2014 to 30-06-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	01-03-2014 to 30-06-2014	5290	1300	6590	100%	6590	0%	0	13180	-700	4	-2800								
01-07-2014 to 31-12-2014	5290	1300	6590	107%	7051	0%	0	13641	01-07-2014 to 31-12-2014	5290	1300	6590	107%	7426	0%	0	14366	-725	6	-4350								
01-01-2015 to 31-01-2015	5290	1300	6590	113%	7447	0%	0	14037	01-01-2015 to 31-01-2015	5290	1300	6590	113%	7842	0%	0	14782	-745	1	-745								
01-02-2015 to 30-06-2015	5490	1300	6790	113%	7673	0%	0	14463	01-02-2015 to 30-06-2015	5500	1300	6800	113%	8080	0%	0	15230	-767	5	-3835								
01-07-2015 to 31-12-2015	5490	1300	6790	119%	8080	0%	0	14870	01-07-2015 to 31-12-2015	5500	1300	6800	119%	8509	0%	0	15659	-789	6	-4734								
01-01-2016 to 31-01-2016	5490	1300	6790	125%	8488	8%	543	15821	01-01-2016 to 31-01-2016	5500	1300	6800	125%	8938	8%	572	16660	-839	1	-839								
01-02-2016 to 30-06-2016	5910	1300	7210	125%	9450	8%	605	17615	01-02-2016 to 30-06-2016	5720	1300	7020	125%	9213	8%	590	17173	442	5	2210								
01-07-2016 to 31-07-2016	5910	1300	7210	130%	9828	8%	605	17993	01-07-2016 to 31-07-2016	5720	1300	7020	130%	9581	8%	590	17541	452	1	452								
01-08-2016 to 31-12-2016	5910	1300	7210	130%	9828	13%	983	18371	01-08-2016 to 31-12-2016	5720	1300	7020	130%	9581	13%	958	17909	462	5	2310								
01-01-2017 to 31-01-2017	5910	1300	7210	134%	10130	13%	983	18673	01-01-2017 to 31-01-2017	5720	1300	7020	134%	9876	13%	958	18204	469	1	469								
01-02-2017 to 30-06-2017	6140	1300	7440	134%	10439	13%	1013	19242	01-02-2017 to 30-06-2017	5950	1300	7250	134%	10184	13%	988	18772	470	5	2350								
01-07-2017 to 31-07-2017	6140	1300	7440	137%	10672	13%	1013	19475	01-07-2017 to 31-07-2017	5950	1300	7250	137%	10412	13%	988	19006	475	1	475								
01-08-2017 to 31-12-2017	6140	1300	7440	137%	10672	17%	1324	19786	01-08-2017 to 31-12-2017	5950	1300	7250	137%	10412	17%	1292	19304	482	5	2410								
01-01-2018 to 31-01-2018	6140	1300	7440	140%	10906	17%	1324	20020	01-01-2018 to 31-01-2018	5950	1300	7250	140%	10640	17%	1292	19532	488	1	488								
01-02-2018 to 30-06-2018	6380	1300	7680	140%	11242	17%	1365	20637	01-02-2018 to 30-06-2018	6180	1300	7480	140%	10962	17%	1331	20123	514	5	2570								
01-07-2018 to 31-12-2018	6380	1300	7680	144%	11563	21%	1686	21279	01-07-2018 to 31-12-2018	6180	1300	7480	144%	11275	21%	1644	20749	530	6	3180								
01-01-2019 to 31-01-2019	6380	1300	7680	148%	11884	21%	1686	21600	01-01-2019 to 31-01-2019	6180	1300	7480	148%	11588	21%	1644	21062	538	1	538								
01-02-2019 to 30-06-2019	6620	1300	7920	148%	12240	21%	1737	22247	01-02-2019 to 30-06-2019	6180	1300	7480	148%	11588	21%	1644	21062	538	1	538								
01-07-2019 to 31-12-2019	6620	1300	7920	153%	12653	21%	1737	22660	01-07-2019 to 31-12-2019	6180	1300	7480	153%	11980	21%	1644	21454	1206	6	7236								
01-01-2020 to 31-01-2020	6620	1300	7920	153%	12653	21%	1737	22660	01-01-2020 to 31-01-2020	6420	1300	7720	153%	12347	21%	1695	22112	548	1	548								
01-02-2020 to 30-06-2020	6870	1300	8170	153%	13036	21%	1789	23345	01-02-2020 to 30-06-2020	6420	1300	7720	153%	12347	21%	1695	22112	1233	5	6165								
01-07-2020 to 31-12-2020	6870	1300	8170	153%	13036	21%	1789	23345	01-07-2020 to 31-12-2020	6420	1300	7720	153%	12347	21%	1695	22112	1233	6	7398								
01-01-2021 to 31-01-2021	6870	1300	8170	153%	13036	21%	1789	23345	01-01-2021 to 31-01-2021	6420	1300	7720	153%	12347	21%	1695	22112	1233	1	1233								
01-02-2021 to 16-02-2021	7400	1300	8700	153%	13112	21%	1953	25482	01-02-2021 to 16-02-2021	6920	1300	8220	153%	13112	21%	1800	23482	2000	0.57	1143								

17-02-2021 to 28-02-2021	7400	1900	9300	153%	14229	21%	1953	25482	17-02-2021 to 28-02-2021	7180	1650	8830	153%	13510	21%	1854	24194	1288	0.43	552
01-03-2021 to 30-06-2021	7400	1900	9300	153%	14229	21%	1953	25482	01-03-2021 to 30-06-2021	7180	1650	8830	153%	13510	21%	1854	24194	1288	4	5152
01-07-2021 to 31-12-2021	7400	1900	9300	159%	14787	21%	1953	26040	01-07-2021 to 31-12-2021	7180	1650	8830	159%	14040	21%	1854	24724	1316	6	7896
01-01-2022 to 31-01-2022	22800		22800	34%	7752			30552	01-01-2022 to 31-01-2022	22100		22100	34%	7514			29614	938	1	938
01-02-2022 to 30-06-2022	23500		23500	34%	7990			31490	01-02-2022 to 30-06-2022	22800		22800	34%	7752			30552	938	5	4690
01-07-2022 to 31-12-2022	23500		23500	34%	7990			31490	01-07-2022 to 31-12-2022	22800		22800	34%	7752			30552	938	6	5628
01-01-2023 to 31-01-2023	23500		23500	34%	7990			31490	01-01-2023 to 31-01-2023	22800		22800	34%	7752			30552	938	1	938
01-02-2023 to 30-06-2023	24200		24200	34%	8228			32428	01-02-2023 to 30-06-2023	23500		23500	34%	7990			31490	938	5	4690
01-07-2023 to 31-12-2023	24200		24200	34%	8228			32428	01-07-2023 to 31-12-2023	23500		23500	34%	7990			31490	938	6	5628
01-01-2024 to 31-01-2024	24200		24200	34%	8228			32428	01-01-2024 to 31-01-2024	23500		23500	34%	7990			31490	938	1	938
01-02-2024 to 31-03-2024	24900		24900	34%	8466			33366	01-02-2024 to 31-03-2024	24200		24200	34%	8228			32428	938	2	1876
01-04-2024 to 30-06-2024	24900		24900	38%	9462			34362	01-04-2024 to 30-06-2024	24200		24200	38%	9196			33396	966	3	2898
01-07-2024 to 30-09-2024	24900		24900	38%	9462			34362	01-07-2024 to 30-09-2024	24200		24200	38%	9196			33396	966	3	2898
01-10-2024 to 31-12-2024	24900		24900	42%	10458			35358	01-10-2024 to 31-12-2024	24200		24200	42%	10164			34364	994	3	2898
01-01-2025 to 31-01-2025	24900		24900	42%	10458			35358	01-01-2025 to 31-01-2025	24200		24200	42%	10164			34364	994	1	994
01-02-2025 to 28-02-2025	25600		25600	42%	10752			36352	01-02-2025 to 28-02-2025	24900		24900	42%	10458			35358	994	1	994
Total									Total											79189

87


 Assistant Controller
 Himechal Pradesh State Audit Department
 Shimla-171099

[illegible]

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh

Recovery Statement in r/o Smt. Damomdari Devi, Retd Sweeper on account of irregular pension revision w.e.f. 01-03-2022

Drawn					Due						Difference per month
Date	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Total	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Interim Relief rate	IR Amount	Total	
01-03-2022 to 31-03-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2022 to 30-04-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2022 to 31-05-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2022 to 30-06-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2022 to 31-07-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2022 to 31-08-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2022 to 30-09-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2022 to 31-10-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2022 to 30-11-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2022 to 31-12-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2023 to 31-01-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2023 to 28-02-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-03-2023 to 31-03-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2023 to 30-04-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2023 to 31-05-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2023 to 30-06-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2023 to 31-07-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2023 to 31-08-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2023 to 30-09-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2023 to 31-10-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2023 to 30-11-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2023 to 31-12-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2024 to 31-01-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2024 to 28-02-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-03-2024 to 31-03-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2024 to 30-04-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2024 to 31-05-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2024 to 30-06-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2024 to 31-07-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2024 to 31-08-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2024 to 30-09-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2024 to 31-10-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2024 to 30-11-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2024 to 31-12-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2025 to 31-01-2025	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2025 to 28-02-2025	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
Total											280908

दिनेश
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

ALL INFORMATION CONTAINED
HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 01-21-2001 BY 60321

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh
Recovery Statement in r/o Smt. Kalan Devi, Retd Sweeper on account of irregular pension revision w.e.f. 01-03-2022

Drawn					Due						Difference per month
Date	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Total	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Interim Relief rate	IR Amount	Total	
01-03-2022 to 31-03-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2022 to 30-04-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2022 to 31-05-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2022 to 30-06-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2022 to 31-07-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2022 to 31-08-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2022 to 30-09-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2022 to 31-10-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2022 to 30-11-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2022 to 31-12-2022	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2023 to 31-01-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2023 to 28-02-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-03-2023 to 31-03-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2023 to 30-04-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2023 to 31-05-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2023 to 30-06-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2023 to 31-07-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2023 to 31-08-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2023 to 30-09-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2023 to 31-10-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2023 to 30-11-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2023 to 31-12-2023	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2024 to 31-01-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2024 to 28-02-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-03-2024 to 31-03-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-04-2024 to 30-04-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-05-2024 to 31-05-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-06-2024 to 30-06-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-07-2024 to 31-07-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-08-2024 to 31-08-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-09-2024 to 30-09-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-10-2024 to 31-10-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-11-2024 to 30-11-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-12-2024 to 31-12-2024	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-01-2025 to 31-01-2025	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
01-02-2025 to 28-02-2025	12799	31%	3968	16767	4980	159%	7918	21%	1046	8964	7803
Total											280908

१९
दिनांक
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

४९

४८

10-10-1964
 10-10-1964
 10-10-1964

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt. Mandi, Himachal Pradesh
Recovery Statement in r/o Smt. Dhani Ram, Retd Peon on account of irregular pension revision w.e.f. 01-03-2022

Drawn					Due						Difference per month
Date	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Total	Basic Pension	DA rate	DA Amount	Interim Relief rate	IR Amount	Total	
01-03-2022 to 31-03-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-04-2022 to 30-04-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-05-2022 to 31-05-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-06-2022 to 30-06-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-07-2022 to 31-07-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-08-2022 to 31-08-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-09-2022 to 30-09-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-10-2022 to 31-10-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-11-2022 to 30-11-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-12-2022 to 31-12-2022	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-01-2023 to 31-01-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-02-2023 to 28-02-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-03-2023 to 31-03-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-04-2023 to 30-04-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-05-2023 to 31-05-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-06-2023 to 30-06-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-07-2023 to 31-07-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-08-2023 to 31-08-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-09-2023 to 30-09-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-10-2023 to 31-10-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-11-2023 to 30-11-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-12-2023 to 31-12-2023	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-01-2024 to 31-01-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-02-2024 to 28-02-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-03-2024 to 31-03-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-04-2024 to 30-04-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-05-2024 to 31-05-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-06-2024 to 30-06-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-07-2024 to 31-07-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-08-2024 to 31-08-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-09-2024 to 30-09-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-10-2024 to 31-10-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-11-2024 to 30-11-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-12-2024 to 31-12-2024	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-01-2025 to 31-01-2025	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
01-02-2025 to 28-02-2025	18200	31%	5642	23842	6850	159%	10892	21%	1439	12331	11511
Total											414396

90

क

१९
दिनांक
 Assistant Controller
 Himachal Pradesh State Audit Department
 Shimla-171099

RECEIVED
JAN 10 1964
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

अनुच्छेद 15 में सन्दर्भित

परिशिष्ट " 28 "

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of advances released for execution of works as deposit works as on 31-03-2024

Sr	Original Audit Report Period	Original Audit Para No	Dated	CBP	Purpose	Department	Amount	Utilization Certificate No. And date
1	1/04/16 to 31/03/18	19	06-07-2016	47	Kanda Pattan Scheme	Ex. En. IPH Sarkghat	₹ 1,00,00,000	Work not yet completed
2	1/04/16 to 31/03/18	19	18-01-2018	192	Kanda Pattan Scheme	Ex. En. IPH Sarkghat	₹ 1,50,00,000	Work not yet completed
			Total as on 31-03-2024				₹ 2,50,00,000	


Executive Officer,
Municipal Council, Sarkaghat
Distt. Mandi (H.P.)

अनुच्छेद 162 में सन्दर्भित।

परिशिष्ट 29

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Non imposition of penalty on contractors for delayed execution of the works during the period 04/2023 to 03/2024

S.no	V NO. Date	Name of work	Name of Contractor	Awarded amount	Gross Amount	Net Amount	MB Pg	Date of award	Time Allowed	Date of complete	Due date of completion	Excess taken in time in days	Per day rate of Penalty @ 3% per month of tendered amount calculated on per day basis subject maximum 10% of the tendered amount as per clause 2 of agreement.	Penalty on daily basis	Maximum 10% of tendered amount	Expected penalty to be imposed
1	35/27/04/2023]	C/O Check dam wrd no. 5 kunalag nalish from near Roop lal house ward no. 5 MC Sarkaghat Distt mandi HP	Ajay kumar G.C	51360	49392	43467	25431/92	10-12-2022	3 MONTHS	27/04/23	25-03-2023	34	₹ 51	₹ 1,734	₹ 5,136	₹ 1,734
2	28/23/12/2023]	C/O SWM Site Temporary MRF Shed at ward no.1 Tarhi MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari G.C	549216	564382	485368	25434/85-86	14/07/2023	3 MONTHS	23/12/2023	29-10-2023	56	₹ 549	₹ 30,744	₹ 54,922	₹ 30,744
3	7/3/11/2023]	C/O Composting pits in S/O M site at Ward no.1 Tarhi MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari	536895	565402	509851	25441/10-11	14/07/2023	3 MONTHS	23/12/2023	29-10-2023	56	₹ 537	₹ 30,072	₹ 53,690	₹ 30,072
4	21/9/2/2024]	C/O Footpath near Shri Hanuman Mandir ward no. 5 kunalag MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Kashmitr Singh	472724	189277	165282	25441/27-28	11-02-2023	3 MONTHS	02-09-2024	26-05-2023	100	₹ 473	₹ 47,300	₹ 47,272	₹ 47,272
5	20/9/2/2024]	C/O Footpath from toward kyli mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Suresh Kumar GC	215537	168425	147568	20436/76	20/10/2023	3 MONTHS	02-09-2024	05-02-2024	157	₹ 216	₹ 33,912	₹ 21,554	₹ 21,554
6	46/29/2/2024]	C/O Footpath near PWD line /c road house of Sh Dinesh kumar to Smt. Byasa Devi house ward no. 2 ram nagar MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Hitesh kumar GC	456236	473430	406537	25438/20	20/10/2023	3 MONTHS	29/2/2024	05-02-2024	24	₹ 456	₹ 10,944	₹ 45,630	₹ 10,944
Total																₹ 1,42,320

92

Assistant Controller
 Himachal Pradesh State Audit Department
 Shimla-171099

अनुच्छेद 163 में सन्दर्भित।

परिशिष्ट "30..."

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Detail of the expenditure incurred in execution of works in excess to the admissible limits of 10% of the expenditure sanction during the period
04/2023 to 03/2024

S.no	V NO. Date	Name of work	Name of Contractor	MB Pg	Estimated cost	Gross Amount	Excess Payment	%age of the excess payment
1	28[23/12/2023]	C/O SWM Site Temporary MRF Shed at ward no.1 Tatih MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari G.C	25434/85-86	449662	564382	114720	26%
2	7[3/11/2023]	C/O Composting pits in S/O M site at Ward no.1 Tatih MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari	25441/10-11	473545	565402	91857	19%
		Total			923207	1129784	206577	

११
दिनांक
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

1. Information
 2. Analysis
 3. Conclusion
 4. Recommendation

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Detail of the deviation incurred in execution of works during the period 04/2023 to 03/2024

S.no	V NO. Date	Name of work	MB Pg	Name of Contractor	Awarded amount	Gross Amount	Deviation Amount	%age of deviation	Excess/ Savings
1	07[3/4/2023]	C/O Path R/Wall Smt.Nirmela kumari house to steel foot bridge	25437/74	Arun kumar G.C	493652	461168	-32484	-7%	Savings
2	35[27/04/2023]	C/O Check dam wrd no. 5 kunalag nallah from near Roop lal house ward no. 5 MC Sarkaghat Distt mandi HP	25431/92	Ajay kumar G.C	51360	49392	-1968	-4%	Savings
3	31[24/4/2023]	C/O Common bathroom path at ward no.5 kunalag MC sarkaghat distt. Mandi HP	25435/66	Vijay kumar	447638	429166	-18472	-4%	Savings
4	28[23/12/2023]	C/O SWM Site Temporary MRF Shed at ward no.1 Tati MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25434/85-86	Sh Abhishek Paswari G.C	549216	564382	15166	3%	Excess
5	8[3/11/2023]	C/O Road from w/o SH. Gian chand towards kalas ward MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25441/15-16	Sh Vijay kumar G.C	446913	468269	21356	5%	Excess
6	7[3/11/2023]	C/O Composting pits in S/O M site at Ward no.1 Tati MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25441/10-11	Sh Abhishek Paswari	536895	565402	28507	5%	Excess
7	21[9/2/2024]	C/O Footpath near Shri Hanuman Mandir ward no. 5 kunalag MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25441/27-28	Sh Kashmir Singh	472724	189277	-283447	-60%	Savings
8	29[23/12/2023]	M/O Ambulance link road near post office to bridge near Sh. Anil house Dabrog ward no 7 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25434/87-89	Sh Puneet Kumar	506528	407422	-99106	-20%	Savings
9	27[23/12/2023]	Upgradation of chamber and balance work of road from gian chand house to kalash ward no. 4 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25436/70	Sh Vijay kumar G.C	385545	380281	-5264	-1%	Savings
10	34[20/12/2023]	M/O Path from shani dev mandir to main PWD road Tati Ward no. 1 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	25441/24-26	Sh Arun kumar G.C	99990	56834	-43156	-43%	Savings
11	35[28/12/2023]	R/O Public Path near thw house of Haridass in ward No. 6 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25441/30-35	Sh Arun kumar	74615	59326	-15289	-20%	Savings
12	20[9/2/2024]	C/O Footpath from toward kylu mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	20436/76	Sh Suresh Kumar GC	215537	168425	-47112	-22%	Savings
13	46[29/2/2024]	C/O Footpath near PWD line /c road house of Sh Dinesh kumar to Smt. Byasa Devi house ward no. 2 ram nagar MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25438/20	Sh Hitesh kumar GC	456296	473430	17134	4%	Excess
14	20[15/03/2024]	C/O Retaning of wall on the Public path near the w/o Sh ramesh kumar s/o Sh Badri dass village dabrog ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25438/21	Sh Bhag singh verma	112326	150150	37824	34%	Excess
15	47[29/02/2024]	C/O Footpath near Sh. Amar chand house to footbridge and Chanderkant house to Raju Ram Khet ward no.6 Ropa colony MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25438/29	Sh Arun kumar GC	557328	530334	-26994	-5%	Savings
16	32[27/03/2024]	C/O R/Wall P/Wall for the protection of Brahmakumari Aashram in ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	25438/29-30	Sh Sumit kumar	105058	102860	-2198	-2%	Savings

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of non deposit of the Labour Cess on executed works by MC during the period 04/2023 to 03/2024

S.no	V NO. Date	Name of work	Name of Contractor	Gross Amount	Labour Cess	MB Pg
1	07[3/4/20]	C/O Path R/Wall Smt.Nirmela kumari house to steel foot bridge Het ram house ward no.7 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Arun kumar G.C	461168	4612	25437/74
2	35[27/04/]	C/O Check dam wrd no. 5 kunalag nallah from near Roop lal house ward no. 5 MC Sarkaghat Distt mandi HP	Ajay kumar G.C	49392	494	25431/92
3	31[24/4/2]	C/O Common bathroom path at ward no.5 kunalag MC sarkaghat distt. Mandi HP	Vijay kumar	429166	4292	25435/66
4	28[23/12/]	C/O SWM Site Temporary MRF Shed at ward no.1 Tati MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari G.C	564382	5644	25434/85-86
5	8[3/11/20]	C/O Road from w/o SH. Gian chand towards kalas ward MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Vijay kumar G.C	468269	4683	25441/15-16
6	7[3/11/20]	C/O Composting pits in S/O M site at Ward no.1 Tati MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari	565402	5654	25441/10-11
7	21[9/2/20]	C/O Footpath near Shri Hanuman Mandir ward no. 5 kunalag MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Kashmir Singh	189277	1893	25441/27-28
8	29[23/12/]	M/O Ambulance link road near post office to bridge near Sh. Anil house Dabrog ward no 7 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Puneet Kumar	407422	4074	25434/87-89
9	27[23/12/]	Upgradation of chamber and balance work of road from gian chand house to kalash ward no. 4 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Vijay kumar G.C	380281	3803	25436/70
10	34[20/12/]	M/O Path from shani dev mandir to main PWD road Tati Ward no. 1 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Arun kumar G.C	56834	568	25441/24-26
11	35[28/12/]	R/O Public Path near thw house of Haridass in ward No. 6 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Arun kumar	59326	593	25441/30-35
12	20[9/2/20]	C/O Footpath from toward kylu mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Suresh Kumar GC	168425	1684	20436/76
13	46[29/2/2]	C/O Footpath near PWD line /c road house of Sh Dinesh kumar to Smt. Byasa Devi house ward no. 2 ram nagar MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Hitesh kumar GC	473430	4734	25438/20
14	20[15/03/]	C/O Retaning of wall on the Public path near the w/o Sh ramesh kumar s/o Sh Badri dass village dabrog ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Bhag singh verma	150150	1502	25438/21
15	47[29/02/]	C/O Footpath near Sh. Amar chand house to footbridge and Chanderkant house to Raju Ram Khet ward no.6 Ropa colony MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Arun kumar GC	530334	5303	25438/29
16	32[27/03/]	C/O R/Wall P/Wall for the protection of Brahmakumari Aashram in ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Sumit kumar	102860	1029	25438/29-30
		Total		5056118	50562	

2001/1/1
2001/1/1
2001/1/1

O/o Executive Officer, Municipal Council Sarkaghat, Distt Mandi HP

Statement of non deposit of the royalty on executed works by MC during the period 04/2023 to 03/2024

S.no	V NO. Date	Name of work	Name of Contractor	Awarded amount	Gross Amount	Net Amount	Royalty	MB Pg
1	07[3/4/2023]	C/O Path R/Wall Smt.Nirmela kumari house to steel foot bridge Het ram house ward no.7 MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Arun kumar G.C	493652	Gross Amount	412824	6838	25437/74
2	31[24/4/2023]	C/O Common bathroom path at ward no.5 kunalag MC sarkaghat distt. Mandi HP	Vijay kumar	447638	49392	388521	2020	25435/66
3	8[3/11/2023]	C/O Road from w/o SH. Gian chand towards kalas ward MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Vijay kumar G.C	446913	564382	402410	300	25441/15-16
4	7[3/11/2023]	C/O Composting pits in S/O M site at Ward no.1 Tati MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Abhishek Paswari	536895	468269	509851	4665	25441/10-11
5	21[9/2/2024]	C/O Footpath near Shri Hanuman Mandir ward no. 5 kunalag MC Sarkaghat Distt. Mandi HP	Sh Kashmir Singh	472724	565402	165282	1281	25441/27-28
6	27[23/12/2023]	Upgradation of chamber and balance work of road from gian chand house to kalash ward no. 4 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Vijay kumar G.C	385545	407422	342164	3891	25436/70
7	20[9/2/2024]	C/O Footpath from toward kylu mandir Sh Rakesh kumar to h/o Smt Sarla Devi ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Suresh Kumar GC	215537	59326	147568	646	20436/76
8	46[29/2/2024]	C/O Footpath near PWD line /c road house of Sh Dinesh kumar to Smt. Byasa Devi house ward no. 2 ram nagar MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Hitesh kumar GC	456296	168425	406537	614	25438/20
9	20[15/03/2024]	C/O Retaning of wall on the Public path near the w/o Sh ramesh kumar s/o Sh Badri dass village dabrog ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Bhag singh verma	112326	473430	129428	2703	25438/21
10	32[27/03/2024]	C/O R/Wall P/Wall for the protection of Brahm Kumari Aashram in ward no. 7 MC Sarkaghat distt. Mandi HP	Sh Sumit kumar	105058	530334	90392	124	25438/29-30
		Total		3672584	102860	2994977	23082	

११
दिनेश
Assistant Controller
Himachal Pradesh State Audit Department
Shimla-171099

2001-2002
2001-2002
2001-2002